G20 भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

मध्यप्रदेश शासन

आज़ादी का अमृत महोत्सव

उठो जागो और तब तक मत रुको,
जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाये।

- स्वामी विवेकानंद

मध्यप्रदेश युवा नीति 2023

मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश युवा नीति 2023

शब्द-संक्षेप

AIGGPA	अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान
IIFM	भारतीय वन प्रबंधन संस्थान
ITI	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
MANIT	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
MOOC	मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज
MPVP	मध्यप्रदेश राज्य स्वयंसेवक प्रोग्राम
MSME	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
NCC	राष्ट्रीय कैडेट कोर
NEP	राष्ट्रीय शिक्षा नीति
NGC	नेशनल ग्रीन कोर
NGO	गैर-शासकीय संगठन
NID	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान
NIRF	राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क
NSS	राष्ट्रीय सेवा योजना
NYKS	नेहरू युवा केंद्र संगठन
NYP	राष्ट्रीय युवा नीति
REC	क्षेत्रीय विस्तार केंद्र
RGPV	राजीव गांधी विश्वविद्यालय
SDG	सतत् विकास लक्ष्य
SPA	योजना और वास्तुकला विद्यालय
SRH	यौन और प्रजनन स्वास्थ्य
STEM	विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (Science, Technology, Engineering and Mathematics)
Venture Capital	उद्यम पूंजी

अनुक्रमणिका

1. **प्रस्तावना** 1

2. **विज़न** 3

3. **उद्देश्य** 3

4. **कार्य क्षेत्र** 4

5. **शिक्षा और कौशल** 5

   5.1. शिक्षा प्रणाली का सशक्तिकरण

   5.2. युवाओं का कौशल विकास

   5.3. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुलभता

   5.4. उच्च और तकनीकी शिक्षा का सुदृढ़ीकरण

6. **रोजगार और उद्यमिता** 12

   6.1. ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

   6.2. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार रणनीतियों का विकास

   6.3. युवाओं के लिए स्टार्ट-अप और उद्यमिता को बढ़ावा

   6.4. गिग और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के विकास को प्रोत्साहन

   6.5. रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौशल केंद्रों का पुनर्गठन

7. **स्वास्थ्य** 18

   7.1. निवारक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का सशक्तिकरण

   7.2. पौष्टिक व संतुलित आहार की आदतों तथा स्वच्छता व्यवहार को बढ़ावा

   7.3. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा

   7.4. पर्याप्त, समावेशी, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता

8. **युवा नेतृत्व एवं सामाजिक कार्य** 26

   8.1. युवा नेतृत्व विकास

   8.2. सामाजिक कार्य हेतु युवा स्वयंसेविता ईको-सिस्टम का निर्माण

   8.3. युवाओं को सीखने के अवसर प्रदान करना तथा परामर्श प्रणाली का सशक्तिकरण

9. **खेल एवं फिटनेस** 30

9.1. खेल अधोसंरचना एवं फिटनेस ईको सिस्टम का विकास

9.2. खिलाड़ियों का समग्र विकास

9.3. पैरा खिलाड़ियों को अवसर एवं सुविधा

9.4. खेल प्रशासन में खिलाड़ियों को प्राथमिकता

10. **कला एवं संस्कृति** 33

10.1. पारंपरिक ज्ञान प्रबंधन प्रणालियों और संस्कृति का संरक्षण

10.2. कला को आजीविका के साधन के रूप में बढ़ावा

10.3. एक जिला-अनेक कला

11. **पर्यावरण सुरक्षा** 38

11.1. पर्यावरण के प्रति युवाओं में संवेदनशीलता का विकास

11.2. पर्यावरण संरक्षण के लिए युवा नेतृत्व को बढ़ावा

11.3. हरित रोज़गार को बढ़ावा

11.4. सतत् उत्पादन एवं उपभोग

12. **समावेश एवं समता** 42

12.1. बालिकाओं और महिलाओं का सम्मान

12.2. परिवार ही आधार

12.3. बालिकाओं, महिलाओं एवं युवाओं का सशक्तिकरण

12.4. दिव्यांग और उभयलिंगी व्यक्ति सहित समाज के कमजोर वर्गों के युवाओं हेतु समावेशी शिक्षा

12.5. समता का भाव

13. **क्रियान्वयन रूपरेखा** 46

1. प्रस्तावना

1.1 वर्तमान संदर्भों में वैश्विक परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप, सशक्त बनाने, उनकी सृजनशीलता को बढ़ावा देने तथा उन्हें राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जोड़ने हेतु एक सार्थक मंच उपलब्ध कराने के लिए एक बहुआयामी नीति की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। दिनांक 23 एवं 24 जुलाई 2022 को भोपाल में आयोजित युवा महापंचायत में भी युवाओं द्वारा एक समग्र एवं व्यापक युवा नीति की आवश्यकता को प्रमुखता से उठाया गया।

1.2 इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुरूप राज्य युवा नीति के निर्माण में युवाओं एवं अन्य हितधारकों की सक्रिय सहभागिता हेतु राज्यव्यापी परामर्श आयोजित किये गए जिसमें जिला प्रशासन, शिक्षण संस्थानों, गैर शासकीय संस्थानों, राज्य युवा मंच और अन्य हितधारकों ने सहभागिता की। इस प्रक्रिया में लगभग 10,000 से अधिक युवाओं ने भागीदारी की और नीति के निर्धारण के लिए अपने सुझाव दिए। इसके अतिरिक्त पंचायत एवं नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों ने भी इन परामर्श सत्रों में भाग लिया। युवा नीति हेतु सुझावों के आमंत्रण के लिए पूरे प्रदेश में विभिन्न गोष्ठियों का भी आयोजन किया गया। सुझावों हेतु MyGov पोर्टल का भी प्रयोग किया गया। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप 3018 सुझाव प्राप्त हुए।

1.3 मध्यप्रदेश युवा नीति 2023, युवा महापंचायत 2022 से प्राप्त सुझावों, राष्ट्रीय युवा नीति (ड्राफ्ट) 2021, विभिन्न देशों की युवा नीति, देश के अन्य राज्यों की युवा नीति एवं मध्यप्रदेश राज्य युवा नीति 2008 के अध्ययन के उपरांत तैयार किया गया है।

1.4 यह नीति प्रदेश के समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लिया गया कदम है, जिसमें युवा एक अहम भूमिका निभाएंगे। इस नीति से मध्यप्रदेश एक ऐसा प्रदेश बनकर उभरेगा जिसमें युवाओं की ऊर्जा और योग्यता के सभी बहुआयामी सरोकार समाहित होंगे एवं क्षेत्रीयता, जातिवाद और लिंग असमानता नहीं होगी।

1.5 सरकार ने युवाओं के हितों तथा प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाने हेतु कई योजनाएं नामतः मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र योजना, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन, उद्यमक्रांति योजना, मां तुझे प्रणाम योजना एवं मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना इत्यादि प्रारंभ की हैं। किंतु बदलते परिवेश में आज युवाओं को एक वर्ग के रूप में देखते हुए जरूरी है कि एक नवीन युवा नीति तैयार की जाए जिससे राज्य में युवाओं के लिए योजनाओं को बेहतर एकीकृत एवं समन्वित रूप में ढाला जा सके। इस नीति के माध्यम से उन सभी हितधारकों, नामित विभागों, सामाजिक संगठनों, युवा संगठनों, निजी संस्थानों को युवाओं की

आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी एवं सक्षम बनाने का लक्ष्य है।

1.6 चीन और अमेरिका में 37, यूरोप में 45 और जापान में 49 वर्ष की तुलना में वर्ष 2022 में भारत में औसत आयु 28 वर्ष है (विश्व स्वास्थ्य संगठन, 2019)। भारत में आश्रितों की तुलना में युवाओं और कामकाजी आबादी की अधिक संख्या होने से देश के विकास के लिए एक लाभप्रद स्थिति निर्मित हो रही है जिसका लाभ 2055 तक प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। मध्यप्रदेश में युवाओं अर्थात 15-29 वर्ष के आयु वर्ग की आबादी लगभग दो करोड़ है, जो राज्य की आबादी का लगभग एक चौथाई हिस्सा है। जनसांख्यिकीय लाभांश का संज्ञान लेते हुए मध्यप्रदेश अपने युवाओं के लिए एकीकृत और समग्र नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से अवसरों का विस्तार करना चाहता है।

1.7 इस नीति में 15-29 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या को युवा के रूप में परिभाषित किया गया है।

2. विज़न

मध्यप्रदेश के युवाओं को अपनी क्षमता का पूर्ण विकास करने के लिए सशक्त करना ताकि वह राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में प्रभावी योगदान कर सकें।

3. उद्देश्य

इस नीति का उद्देश्य है कि प्रदेश के युवा –

1. ऐसे उद्यमी बनें जो आत्मविश्वास के साथ जोखिम लेने के लिए तैयार हों
2. आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था एवं संरचना के प्रति जागरुक हों
3. मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ हों
4. कृषि एवं पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी हों
5. समावेशी एवं न्यायपूर्ण हों
6. प्रतिभागिता की भावना से युक्त हों
7. वैज्ञानिक स्वभाव एवं दृष्टिकोण से युक्त हों
8. तथ्यों के आधार पर युक्तियुक्त निर्णय लेने में समर्थ हों
9. अपनी संस्कृति एवं संस्कारों के प्रति आदरभाव से युक्त हों
10. राष्ट्र निर्माण एवं अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित हों
11. भविष्य में नेतृत्व प्रदान करने हेतु समर्थ हों
12. शिक्षा एवं कौशल अर्जित कर रोजगार के योग्य हों

4. कार्य क्षेत्र

नीति के कार्य क्षेत्र निम्नानुसार हैं -

1. शिक्षा एवं कौशल
2. रोजगार एवं उद्यमिता
3. स्वास्थ्य
4. युवा नेतृत्व और सामाजिक कार्य
5. खेल एवं फिटनेस
6. कला एवं संस्कृति
7. पर्यावरण सुरक्षा
8. समावेशन और समता

5. शिक्षा और कौशल

युवाओं के विकास में शिक्षा और कौशल अहम् भूमिका निभाते हैं। शिक्षा युवाओं के विकास के पथ में महत्वपूर्ण सोपान है क्योंकि यह समाज और अर्थव्यवस्था को आकार देती है। युवाओं को एक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की आवश्यकता होती है जो उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण व्यवसायिक कौशल सिखाती है एवं उनके समग्र विकास में सहायक होती है। इस नीति का उद्देश्य युवाओं को आत्मविश्वासपूर्ण, नवप्रवर्तनशील, आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था एवं संरचना का जानकार तथा मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाना है।

मध्यप्रदेश युवा नीति 2023 शिक्षा की एक ऐसी सशक्त प्रणाली की कल्पना करती है जो युवाओं का कौशल विकास करें, उच्च शिक्षा का सुदृढ़ीकरण करे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को आमजन तक पहुँचाए। यह नीति पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र में बदलाव, शिक्षा में प्रौद्योगिकी का समावेश, व्यावसायिक शिक्षा पर पुनर्विचार, विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर इंटर्नशिप के अवसर और उच्च शिक्षा संस्थानों में अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम को प्राथमिकता देती है। इसके अतिरिक्त यह नीति वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित करती है।

यह नीति एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है, जो माध्यमिक और उच्च शिक्षा में नामांकित छात्रों/युवाओं के लिए शिक्षा को प्रासंगिक बनाकर युवाओं के सभी वर्गों को समग्र शिक्षा और विकास का आश्वासन देती है, युवाओं के उस वर्ग की सहायता की परिकल्पना करती है जो शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण में नामांकित नहीं हैं तथा वंचित समुदाय के युवाओं के लिए बेहतर समावेशी प्रणाली के निर्माण के साथ-साथ अनुभवों के पठन-पाठन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करती है। इस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत विषयों एवं उनसे संबंधित फोकस क्षेत्रों का विवरण निम्नानुसार तालिका में दर्शाया गया है:-

क्र.	विषय	फोकस क्षेत्र
1	शिक्षा प्रणाली का सशक्तिकरण	1. विद्यालय में छात्रों के समग्र विकास हेतु मूल्य-आधारित शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) का उपयोग 2. विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) और तकनीकी कौशल सहित वैश्विक और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यार्थी विशेषकर छात्राओं को प्रासंगिक शिक्षा और कौशल प्रदान करना तथा उन्हें डिजिटल और वित्तीय रूप से जागरूक बनाना और अंततः कौशल-आधारित रोजगार के अवसरों के अनुरूप बेहतर बनाना 3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षण गुणवत्ता में सुधार के लिए शैक्षणिक मापदंडों के अनुसार, शिक्षकों की व्यवस्था करना एवं क्षमतावर्द्धन कार्यक्रमों का नियोजन तथा मूल्यांकन, साथ ही NIRF रैंकिंग में राज्य की संस्थाओं को लाना
2	युवाओं का कौशल विकास	1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप समग्र शिक्षा प्रणाली में कौशल आधारित पाठ्यक्रम का समायोजन 2. कक्षा 9वीं से 12वीं तक व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

क्र.	विषय	फोकस क्षेत्र
		3. समन्वय, सहयोग और वैचारिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने हेतु प्रौद्योगिकी एवं ऑनलाइन तंत्र का उपयोग
3	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुलभता	1. वंचित वर्ग के युवाओं को शिक्षा प्रणाली में बनाए रखना तथा ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अधिक से अधिक छात्रों को शिक्षित करना 2. गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की सुलभता का विस्तारीकरण, और दूरस्थ शिक्षा (Distance Learning) कार्यक्रमों का सुदृढ़ीकरण करना 3. उच्च शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए युवाओं विशेषकर छात्राओं और निःशक्तजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना 4. युवाओं के लिए इंटरनेट सुविधाएं, ई-लाइब्रेरी तथा ई-लर्निंग जैसी निःशुल्क डिजिटल ऐसेट्स का निर्माण और उपलब्धता सुनिश्चित करना
4	उच्च और तकनीकी शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	1. Emerging Technology में तकनीकी/उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध एवं नवाचार के लिए प्रोत्साहन तथा स्कूल स्तर पर Tinkering lab/do it your self-concept lab/Makers lab की स्थापना 2. शिक्षा को उद्योग की आवश्यकताओं एवं नई तकनीक के अनुसार निरन्तर परिवर्तन करना

उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विषय एवं फोकस क्षेत्रों के अंतर्गत प्रस्तावित कार्य बिंदु निम्नानुसार हैं :-

5.1 शिक्षा प्रणाली का सशक्तिकरण

5.1.1 विद्यालय में छात्रों के समग्र विकास हेतु मूल्य आधारित शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उपयोग -

i. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने के लिए इंटरएक्टिव शिक्षा और अनुभवात्मक शिक्षा (आगे के चरणों में) को शिक्षण में शामिल किया जायेगा। पाठ्यक्रम प्रणाली में पारंपरिक भाषाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।

ii. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में मूल्य-आधारित शिक्षा हेतु पाठ्यक्रमों में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश किया जाएगा।

iii. साथ ही प्रदेश के रचनाकारों, साहित्यकारों, इतिहासकारों के कृतित्व एवं व्यक्तित्व तथा स्थानीय कला, संस्कृति, एवं भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

iv. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को बहु-विषयक परिणाम आधारित शिक्षा का लाभ प्रदान किया जाएगा।

5.1.2 STEM और तकनीकी कौशल सहित वैश्विक और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यार्थी विशेषकर छात्राओं को प्रासंगिक शिक्षा और कौशल प्रदान करना तथा उन्हें डिजिटल एवं वित्तीय साक्षर बनाना और अंततः कौशल-आधारित रोजगार के अवसरों के अनुरूप बेहतर बनाना -

i. विद्यार्थियों विशेषकर छात्राओं में STEM शिक्षा एवं तकनीकी एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रति रुझान को बढ़ावा देने के लिए लक्षित गतिविधियों जैसे-STEM प्रतियोगिताओं, जागरूकता कार्यक्रम, STEM प्रदर्शनी, टिंकरिंग लैब और युवा वैज्ञानिकों के लिए छात्रवृत्ति जैसे कार्यक्रमों की योजना बनाई जाएगी।

ii. युवाओं को डिजिटल और वित्तीय साक्षरता प्रदान करने हेतु प्रदेश में विशेष अभियान आयोजित किये जायेंगे।

iii. विद्यालयीन शिक्षा के स्तर से ही रोजगारपरक विषयों और उनके आधुनिक कौशल पर आधारित शिक्षा ऑन-लाइन की जाने की व्यवस्था एवं ऑन जॉब ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी।

iv. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के ऐसे युवा, जो स्कूल/कॉलेज में अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर सके हों, को डिजिटल Fluency के लिये विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

v. भविष्य में रोज़गार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु राज्य के विभिन्न मंत्रालयों, बोर्ड, शासी निकाय एवं अन्य उपक्रमों के साथ पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण पद्धतियों का मूल्यांकन एवं संवर्धन करना जिससे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को रोज़गार की सुलभता हो सके।

vi. ड्रॉप आउट दर कम करने के उद्देश्य से पाठ्यक्रमों में मल्टीपल एंट्री एवं मल्टीपल एग्जिट का प्रावधान किया जाएगा।

5.1.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षण गुणवत्ता में सुधार के लिए शैक्षणिक मापदंडों के अनुसार, शिक्षकों की व्यवस्था करना एवं क्षमतावर्द्धक कार्यक्रमों का नियोजन तथा मूल्यांकन, साथ ही NIRF रैंकिंग में राज्य की संस्थाओं को लाना -

i. युवाओं के कौशल संवर्द्धन के लिए शिक्षकों की क्षमता संवर्धन हेतु शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जायेगा। शिक्षण हेतु विशेष शैक्षणिक तकनीकों का विकास किया जाएगा।

ii. चिन्हित पोर्टल और स्त्रोतों से स्व-कौशल उन्नयन के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

iii. शैक्षणिक संस्थाओं में सुचारू रूप से शिक्षा व्यवस्था हेतु भारत सरकार के विनियामक संस्थाओं द्वारा मापदण्डों का पालन मात्र महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु युवाओं की शैक्षणिक एवं बौद्धिक विकास के लिए भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। राज्य शासन कटिबद्ध है कि शैक्षणिक संस्थाओं में मापदण्डों के अनुसार शिक्षकों की पदस्थापना सुनिश्चित की जाये।

iv. शैक्षणिक संस्थाओं में अधोसंरचना व्यवस्था यथा प्रयोगशाला – मशीनरी, हॉस्टल आदि की सुविधा के बारे में विद्यमान निर्देशों के अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

v. देश के सभी शैक्षणिक संस्थाओं में भारत सरकार, शिक्षा विभाग द्वारा NIRF (National Institutional Ranking Framework) द्वारा गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। वर्तमान में NIRF के प्रथम 200 रैंक में राज्य के कई संस्थान हैं, यथा आईआईएम इंदौर, आईआईटी इंदौर, मैनिट भोपाल आदि। राज्य शासन के अधीन शैक्षणिक संस्थाओं में गुणवत्ता में उत्तरोत्तर वृद्धि के प्रयत्न किए जाएंगे जिससे इन संस्थाओं की NIRF की रैंकिंग में लाया जा सके।

vi. देश में शैक्षणिक संस्थाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है और आज के विधार्थी के पास संस्था के चयन की अधिक स्वतंत्रता है। आज के विद्यार्थी अपनी रूचि के अनुसार शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, इस हेतु विधार्थी को एक शैक्षणिक संस्था से दूसरे में अन्तरण की सुविधा दी जाएगी। इस हेतु क्रेडिट भी अन्तरित किए जाएंगें।

5.2 युवाओं का कौशल विकास

5.2.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप समग्र शिक्षा प्रणाली में कौशल आधारित पाठ्यक्रम का समायोजन -

i. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI), क्षेत्रीय विस्तार केंद्र (REC), पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI), जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र (DTIC) तथा अन्य व्यावसायिक और प्रशिक्षण संस्थानों इत्यादि के माध्यम से युवाओं में कौशल विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा।

ii. विभिन्न क्षेत्रों में ट्रेडों/पाठ्यक्रमों की पहचान की जाकर क्षेत्रवार कौशल केंद्रों की स्थापना की जाएगी।

iii. युवाओं को रोजगारोन्मुखी बनाने, व्यक्तित्व विकास के अवसर उपलब्ध कराने तथा कौशल संवर्धन एवं विषय के व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए इंटर्नशिप, ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण, अप्रेंटिसशिप, फील्ड प्रोजेक्ट एवं संगोष्ठियों के आयोजन हेतु शैक्षणिक संस्थानों और विभागों, उद्योगों एवं अन्य संस्थानों के मध्य एम.ओ.यू. (MoU) किये जाएंगें।

iv. तकनीकी संस्थानों में रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफ़िशियल इंटेलीजेंस/मशीन लर्निंग (Artificial intelligence/Machine Learning), Augmented Reality/Virtual Reality, ड्रोन प्रौद्योगिकियों जैसे उभरते क्षेत्रों पर उद्योगों से मान्यता प्राप्त कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

5.2.2 कक्षा 9वीं से 12वीं तक व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण -

i. कक्षा 9वीं से 12वीं तक व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा एवं उसको विस्तारित किया जाएगा। प्रशिक्षकों की क्षमता का निर्माण करने के लिए प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों का भी सहयोग प्राप्त किया जाएगा ताकि वे युवाओं को ज्ञान हस्तांतरित कर सकें।

5.2.3 समन्वय, सहयोग और वैचारिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने हेतु प्रौद्योगिकी एवं ऑनलाइन तंत्र का उपयोग -

i. मध्यप्रदेश शासन द्वारा युवा पोर्टल विकसित किया जाएगा जो राज्य के युवाओं के लिए एक रिपॉजिटरी के रूप में कार्य करेगा। यह पोर्टल युवाओं से संबंधित विभागीय योजनाओं, इंटर्नशिप कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी, स्वयंसेवी कार्यक्रम की जानकारी, रोजगार के अवसर, कौशल उन्नयन के बारे में जानकारी, कॅरियर परामर्श और परामर्श सुविधाओं आदि के बारे में जानकारी साझा करेगा।

ii. उचित प्रमाणन और मूल्यांकन तंत्र के साथ चिन्हित क्षेत्रों में विशिष्ट कौशल-आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफार्म शुरू किया जाएगा।

5.2.4 व्यावसायिक संस्थाओं, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, सेवा क्षेत्र आदि में काम करने के लिए 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के छात्रों के लिए सशुल्क अप्रेंटिसशिप के अवसरों को औपचारिक रूप देना -

i. शासन प्रत्येक संस्थान/संगठन/उद्योग में शिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) पदों का अनुपात तय करेगा।

ii. शासन द्वारा उन उद्योगों के लिए उचित प्रोत्साहन का निर्णय लिया जाएगा जो निर्धारित मानदंडों से अधिक शिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) पदों को समायोजित करेंगे।

5.3 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुलभता

5.3.1 वंचित वर्ग के युवाओं को शिक्षा प्रणाली में बनाए रखना तथा ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अधिक से अधिक छात्रों को शिक्षित करना -

i. ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय मुक्त शिक्षण प्रणाली संस्थान (NIOS) और राज्य मुक्त विद्यालय (SOS) अध्ययन केंद्रों का विकास किया जायेगा।

ii. 'ई-शिक्षा' एल.एम.एस. (Learning Management System) पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों को ई–अध्ययन सामग्री (ई-कंटेन्ट) उपलब्ध कराई जाएगी।

iii. आवश्यकता और योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति और अन्य लाभों का दायरा बढ़ाया जाएगा ताकि वंचित छात्रों की शिक्षा की निरंतरता बनी रहे।

iv. ड्रॉप-आउट दर को कम करने के उद्देश्य से विशेष सेल का गठन किया जाएगा। महाविद्यालय के ड्रॉप-आउट विद्यार्थियों को महाविद्यालय में पुनः प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करने हेतु वृहद स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।

v. सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह के विद्यार्थियों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुलभता हेतु रिमोट लर्निंग सेंटर की स्थापना की जाएगी।

vi. शासन उन गैर-शासकीय संगठनों को प्रोत्साहित करेगा जो गैर-औपचारिक शिक्षण को सफलतापूर्वक चलाते हैं ताकि युवाओं के विकास में पुनर्एकीकरण के प्रयासों में सहायता और निवेश किया जा सके।

vii. दृष्टि-बाधित दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए ई–अध्ययन सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

5.3.2 गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की सुलभता का विस्तारीकरण और दूरस्थ शिक्षा (Distance learning) कार्यक्रमों का सुदृढ़ीकरण करना -

i. शिक्षा की सुलभता को प्रोत्साहित करने हेतु और अधिक माध्यमिक तथा उच्च शिक्षण संस्थान खोले जायेंगे। उन क्षेत्रों में जहां विद्यालयों की आवश्यकता है वहाँ नए विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा। नवीन विद्यालयों में यथासंभव आईसीटी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। छात्रों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

ii. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मूल भावना के अनुरूप सकल पंजीयन अनुपात को 2035 तक 50 प्रतिशत पहुँचाने के उद्देश्य से दूरस्थ शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी।

iii. विद्यार्थियों में ज्ञान संवर्धन एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि के उद्देश्य से समानांतर दो उपाधियाँ (Dual Degree) अर्जित करने का प्रावधान किया जाएगा।

5.3.3 उच्च शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए युवाओं विशेषकर छात्राओं और निःशक्तजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना -

i. शासन युवाओं विशेषकर छात्राओं (15-19 वर्ष) को प्रोत्साहन देने के लिए छात्रवृत्ति की पहल करेगा और वंचित वर्ग के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने हेतु छात्रवृत्ति का प्रावधान किया जायेगा।

ii. शासन श्रवण बाधित (Hearing Impaired) एवं दृष्टि बाधित (Visually Impaired) छात्रों के लिए निःशुल्क/रियायती आवासीय सुविधाओं, पर्याप्त सक्षम अधोसंरचना और प्रशिक्षित कर्मियों के साथ उच्च शिक्षण संस्थान (HEI) की स्थापना की जाएगी।

5.3.4 युवाओं के लिए इंटरनेट सुविधाएं, ई-लाइब्रेरी तथा ई-लर्निंग जैसी निःशुल्क डिजिटल ऐसेट्स का निर्माण और उपलब्धता सुनिश्चित करना -

i. ई-लर्निंग स्पॉट- विद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य चयनित शैक्षणिक स्थलों पर इंटरनेट के निःशुल्क उपयोग के लिए अधोसंरचना सुनिश्चित की जाएगी जो विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्लेटफार्मों तक पहुंच को सुलभ बनाएगी।

ii. राज्यस्तरीय ऑनलाइन विद्यालय की स्थापना की जाएगी जो अपनी ऑनलाइन शिक्षण सामग्री, रिकॉर्ड की गई कक्षाओं और अभ्यास कार्यों तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करेगा। यह उन छात्रों की भी सहायता करेगा जो विभिन्न कारणों से पूरी तरह या आंशिक रूप से विद्यालयों तक नहीं पहुंच पाते हैं।

iii. ई–अध्ययन सामग्री के निर्माण एवं उपलब्धता हेतु डिजिटल स्टूडियो की स्थापना की जाएगी जिससे उच्च गुणवत्ता के ई- कंटेन्ट से विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें।

iv. आधुनिक तकनीक से शिक्षण व्यवस्था के लिए ई-शिक्षा क्लस्टरों का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश के महाविद्यालयों में डिजिटल अधोसंरचना को सुदृढ़ कर क्लस्टर के माध्यम से जोड़ा

जाएगा जिससे महाविद्यालयों में ई-अध्ययन सामग्री, ऑन-लाइन व्याख्यान एवं वीडियो व्याख्यान आदि को साझा किया जा सकेगा।

v. विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा हेतु जागरूक करने के उद्देश्य से 'साइबर सुरक्षा' का पाठ्यक्रम में समावेश किया जाएगा।

5.4 उच्च और तकनीकी शिक्षा का सुदृढ़ीकरण

5.4.1 Emerging Technology में तकनीकी/उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध एवं नवाचार के लिए प्रोत्साहन तथा स्कूल स्तर पर Tinkering lab/do it your self-concept lab/Makers lab की स्थापना -

i. विद्यालयों व उच्च शिक्षण संस्थानों में कॅरियर परामर्श केंद्र बनाये जायेंगे जहां योग्य परामर्शदाताओं के द्वारा युवाओं को कॅरियर से संबंधित उचित मार्गदर्शन एवं परामर्श दिया जायेगा।

ii. उद्योग की आवश्यकता के अनुसार उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाएंगे जो व्यावहारिक एवं मांग के अनुरूप हों।

iii. राज्य में शोध की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शासन द्वारा शोधार्थियों को कॅरियर और पीएच.डी. के मध्य विशेष सहायता प्रदान की जाएगी।

iv. राज्य में शोध को प्रोत्साहन देने एवं कंसल्टेंसी की सुविधा प्रदान करने हेतु राज्य ज्ञान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी।

5.4.2 शिक्षा को उद्योग की आवश्यकताओं एवं नई तकनीक के अनुसार निरन्तर परिवर्तन करना -

i. तकनीकी और उद्योग में पिछले कुछ दशकों में हुए आधारभूत परिवर्तन के अनुरूप राज्य शासन के अधीन संस्थाओं द्वारा अपने पाठयक्रमों को उद्योग की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा, जिससे कि राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी उत्तीर्ण होने के बाद आज की अर्थव्यवस्था में तत्परता से समाविष्ट हो सकें।

6. रोजगार और उद्यमिता

किसी समाज के पूर्ण एवं समावेशी विकास के लिए युवाओं को जीवन यापन करने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, सक्रिय नागरिक के रूप में समाज में सहभागिता एवं योगदान करने के लिए रोजगार की आवश्यकता होती है। कामकाजी युवा, समाज में एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव रखते हैं, जो राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है। उद्यमिता युवाओं के विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। युवाओं को अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करने हेतु उद्यमिता कौशल विकसित करने के लिए कौशल विकास के पर्याप्त अवसर प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस नीति का उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रदान करना, उद्यमी बनाना एवं जोखिम लेने के लिए तैयार करना, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर निर्मित करना है।

असंगठित क्षेत्र 80% से अधिक कार्यबल को रोजगार देता है, जिसमें गिग इकॉनमी एक उभरता हुआ क्षेत्र है। गिग इकॉनमी में कर्मचारी फ्रीलांस, फ्लेक्सिबल या पार्ट-टाइम जॉब करते हैं। यह नीति गिग और अनौपचारिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान करने पर जोर देगी। कौशल विकास केंद्रों की रोजगार योग्य बनाने में एक अहम् भूमिका होती है। इस नीति के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास केन्द्रों के पुनर्गठन पर जोर दिया जायेगा। राज्य युवा नीति 2023 में युवाओं के लिए एक बेहतर भविष्य की परिकल्पना की गई है, जिसका उद्देश्य युवाओं को उद्यम स्थापित कर सार्थक एवं स्थायी रोज़गार खोजने के लिए सशक्त बनाना है। रोजगार और उद्यमिता कार्य क्षेत्र से संबंधित विषयों एवं फोकस क्षेत्रों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	विषय	फोकस क्षेत्र
1	ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण	1. ग्रामीण युवाओं के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में स्थायी आय के अवसर पैदा करना 2. शिक्षित युवाओं में कृषि और संबद्ध व्यवसायों के प्रति आकर्षण को बढ़ावा देना 3. ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त आय के स्रोत सृजित करना
2	शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार रणनीतियों का विकास	1. श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देना 2. ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई क्लस्टर विकास का समर्थन
3	युवाओं के लिए स्टार्ट-अप और उद्यमिता को बढ़ावा	1. उद्यमिता शिक्षा को बढ़ावा देना और युवा उद्यमियों को सहायता प्रदान करना 2. सामाजिक उद्यमों के लिए लक्षित समर्थन प्रदान कर सामाजिक उद्यमिता को सक्षम बनाना 3. उद्यम पूंजी (Venture Capital) संस्कृति को बढ़ावा देना 4. उद्यमशीलता की संस्कृति और स्टार्ट-अप तंत्र विकसित करने के लिए मेंटरशिप नेटवर्क को बढ़ावा देना 5. युवाओं में नवाचारी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए युवा नवाचार कोष का निर्माण

क्र.	विषय	फोकस क्षेत्र
4	गिग और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के विकास को प्रोत्साहन	1. गिग और अनौपचारिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान 2. गिग वर्क के लिए डिमांड-सप्लाई प्रक्रिया को मजबूत करना 3. कुशल मानव संसाधन हेतु श्रम बाजार एवं श्रमिकों के मध्य समन्वय स्थापित करना
5	रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौशल केन्द्रों का पुनर्गठन	1. स्किलिंग इकोसिस्टम का विकास और ग्लोबल इंडस्ट्री जॉब ट्रेंड्स के साथ तालमेल 2. जिला और क्षेत्रीय स्तर पर क्षमतानुसार रोजगार का सृजन 3. सरकार की रोजगार पैदा करने वाली योजनाओं का मूल्यांकन और युवाओं को जागरूक करना 4. रोजगार हेतु युवा परामर्श केंद्रों की स्थापना करना 5. स्थानीय अर्थव्यवस्था बनाने और बनाए रखने के लिए स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना

उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विषय एवं फोकस क्षेत्रों के अंतर्गत प्रस्तावित कार्य बिंदु निम्नानुसार हैं :-

6.1 ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

6.1.1 ग्रामीण युवाओं के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में स्थायी आय के अवसर पैदा करना -

i. युवाओं को नई प्रौद्योगिकी-आधारित कृषि तकनीकों से परिचित कराना और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करने के लिए तकनीकी स्टार्ट-अप विशेषकर 'एग्रीटेक स्टार्ट-अप' को बढ़ावा देना।

ii. राज्य में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करना।

6.1.2 शिक्षित युवाओं में कृषि और अन्य संबद्ध व्यवसायों के प्रति आकर्षण को बढ़ावा देना -

i. युवाओं में कृषि एवं कृषि संबंधी उन्नत तकनीकों के प्रति रुझान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कृषि आधारित विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

ii. युवाओं का रुझान ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए रखने के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा और इस क्षेत्र में युवाओं को आकर्षित करने के लिए मत्स्य-पालन (ब्लू अर्थव्यवस्था), रेशम उत्पादन, डेयरी आदि जैसे संबद्ध क्षेत्रों में पर्याप्त संभावनाएं सृजित की जाएंगी।

iii. जिला/विकासखंड स्तरीय प्रशिक्षण केंद्रों में कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्रों को कॅरियर विकल्प के रूप में चयन हेतु युवाओं में रुचि जागृत करने के लिए पूरे वर्ष जागरूकता कार्यक्रम एवं अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

iv. युवा पोर्टल के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करने के लिए ग्रामीण उद्यमियों की सफलता के उदाहरण (ऑडियो-विजुअल/केसस्टडी) प्रकाशित/प्रस्तुत किये जायेंगे।

6.1.3 ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त आय के स्त्रोत सृजित करना -

i. शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसानों के लिए अतिरिक्त आय उत्पन्न करने हेतु सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और फसलों के मूल्य संवर्द्धन को बढ़ावा दिया जाएगा।

ii. हस्तशिल्प और शिल्प-आधारित उत्पादों (जैसे-बांस शिल्प, चमड़े के शिल्प, मिट्टी के शिल्प, प्राकृतिक रंग, प्राकृतिक रेशे, पत्ती-आधारित उत्पाद आदि) के लिए रोजगार आधारित आवश्यक उपकरणों और तकनीक, स्वचालन, प्रशिक्षण और बाजार संपर्क के संदर्भ में आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। 'एक जिला-एक उत्पाद' कार्यक्रम के माध्यम से बनाई गई आपूर्ति श्रृंखला का उपयोग मध्यप्रदेश के कारीगर और शिल्प-आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।

6.2 शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार रणनीतियों का विकास

6.2.1 श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा -

i. कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा, फर्नीचर एवं खिलौने बनाना जैसे श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसे उद्योगों को राज्य सरकार द्वारा विशेष पैकेजों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी।

ii. मध्यप्रदेश सरकार डिजिटल, फेसलेस, कॉन्टैक्टलेस, फास्ट-ट्रैक अप्रूवल सिस्टम बनाकर ऐसे उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी।

6.2.2 ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई क्लस्टर विकास का समर्थन -

i. क्षेत्र में क्षमता और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत एमएसएमई क्लस्टर का निर्माण किया जायेगा।

6.3 युवाओं के लिए स्टार्ट-अप और उद्यमिता को बढ़ावा

6.3.1 उद्यमिता शिक्षा को बढ़ावा देना और युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन -

i. विश्वविद्यालयों, तकनीकी तथा प्रोफेशनल संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में स्टार्ट-अप एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु 'स्टूडेंट इनोवेशन फंड' बनाया जायेगा। तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग इस हेतु नोडल विभाग होंगे।

ii. 'स्टूडेंट इनोवेशन फंड' के उपयोग द्वारा प्रतिवर्ष नवाचरों/स्टार्ट-अप आइडियाज़ को प्रोत्साहित किया जायेगा।

iii. उच्च शिक्षण संस्थानों में स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना एवं सीड मनी के रूप मे वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

iv. शिक्षा प्रणाली में 'उद्यमिता शिक्षा' पाठ्यक्रम का हिस्सा होगी और छात्रों को उद्यमिता के लिए प्रेरित करने के लिए नियमित रूप से उद्यमिता जागरूकता शिविर (EAC) नियमित आधार पर आयोजित किये जाएंगे।

v. ग्रामीण युवाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप केंद्रों के तहत एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा, जहां उद्यमिता की समझ विकसित करने के लिए नि:शुल्क प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान किये जायेंगे। ग्रामीण उद्यमिता से संबंधित 'मॉडल-प्रोजेक्ट-प्रोफाइल' ग्रामीण युवाओं को पोर्टल के माध्यम से नि:शुल्क उपलब्ध करायी जाएंगी।

6.3.2 सामाजिक उद्यमों के लिए लक्षित सहायता प्रदान करके सामाजिक उद्यमिता को सक्षम बनाना-

i. युवाओं को सामाजिक उद्यमिता को कॅरियर विकल्प के रूप में उपलब्ध कराने के लिए ऐसे इकोसिस्टम के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा जो सामाजिक उपक्रमों का समर्थन करता हो।

ii. विधिक और नियामक ढांचे के तहत सामाजिक उद्यम को एक अलग इकाई के रूप में परिभाषित करने के लिये इन उद्यमों को सरल अनुपालन नियमों, विशेष भत्तों और टैक्स ब्रेक की आवश्यकता होगी। इस हेतु सरकार अतिरिक्त सहायता- जैसे कि विशेष वित्त तक पहुंच उपलब्ध कराकर सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देगी।

iii. यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामाजिक क्षेत्र में पूंजी प्रवाह निर्बाध है और समुदाय के लिए स्थायी लाभ उत्पन्न करने के लिए पूंजी का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है, भारत सरकार ने एक 'सोशल-स्टॉक-एक्सचेंज' बनाने की अवधारणा शुरू की है, जो सामाजिक उद्यमशीलता को सूचीबद्ध करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। सोशल स्टॉक एक्सचेंज 'भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड' द्वारा शासित होगा। राज्य शासन युवाओं को उनके सामाजिक उद्यमों को 'सोशल-स्टॉक-एक्सचेंज' में सूचीबद्ध करने के लिए प्रोत्साहित और सहायता करेगा।

6.3.3 उद्यम पूंजी (Venture Capital) संस्कृति को बढ़ावा देना -

i. स्टार्ट-अप के विकास के लिए पूंजी/निवेश उपलब्ध कराने हेतु उद्यम पूँजीपतियों (Venture Capitalists) का पूल तैयार किया जायेगा। राज्य के स्टार्ट-अप में निवेश करने वाले पूँजीपतियों के साथ राज्य शासन सह-निवेशक का कार्य करेगा।

6.3.4 उद्यमशीलता की संस्कृति और स्टार्टअप तंत्र विकसित करने के लिए मेंटरशिप नेटवर्क को बढ़ावा देना -

i. उद्यमिता संस्कृति और स्टार्ट-अप प्रणाली विकसित करने के लिए जिला स्तर पर युवा गतिविधि केंद्र विकसित किए जाएंगे और विभिन्न क्षेत्रों के परामर्श के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं नियमित आधार पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

ii. जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र (डीटीआईसी) और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) जिला स्तर पर इच्छुक उद्यमियों को सलाह देने के लिए एकजुट हो कर काम करेंगे।

6.3.5 युवाओं में नवाचारी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए युवा नवाचार कोष का निर्माण -

i. राज्य में युवाओं के बीच जमीनी स्तर के नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए युवा नवाचार कोष की स्थापना की जाएगी। इससे राज्य में नवाचार और सामाजिक-आर्थिक विकास का एक स्थायी इकोसिस्टम विकसित करने में मदद मिलेगी।

ii. विद्यालयीन स्तर पर उद्यमशीलता की मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर पर विद्यालयों में 'सीड कैपिटल' का एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा सकता है, जहां चयनित विचारों को उचित प्रारम्भिक राशि मिलेगी।

6.4 गिग और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के विकास को प्रोत्साहन

6.4.1 गिग और अनौपचारिक क्षेत्र के युवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान -

i. केंद्रीय संहिता के अनुरूप, राज्य के गिग और अनौपचारिक क्षेत्र के युवाओं के लिए राज्य के नियमों के अनुसार आवश्यक प्रासंगिक प्रावधानों के साथ सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान किए जाएंगे।

6.4.2 गिग वर्क के लिए डिमांड-सप्लाई प्रक्रिया को मजबूत करना -

i. बाजार में मांग-आपूर्ति के अंतर को भरने के लिए उपलब्ध गिग वर्क की जानकारी प्रदान करने के लिए विभिन्न विभागों/उद्योगों/संगठनों द्वारा युवा पोर्टल (उचित तंत्र के माध्यम से) का लाभ उठाया जायेगा।

6.4.3 कुशल मानव संसाधन हेतु श्रम बाजार एवं श्रमिकों के मध्य समन्वय -

i. तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग योग्यता और कौशल के आधार पर उम्मीदवार की प्रोफाइल की एक सूची तैयार करेगा जिसे श्रम बाजार (लेबर मार्केट) की मांग के साथ मैप किया जाएगा जो कि बेहतर अवसरों के लिए युवाओं की सहायता करेगा।

ii. संबंधित सरकारी विभाग, जिलों में इंडस्ट्री कनेक्ट स्थापित करेंगे जो रोज़गार के अवसर प्रदान करके प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई और अन्य) को सहयोग प्रदान करेंगे।

6.5 रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौशल केंद्रों का पुनर्गठन

6.5.1 स्किलिंग इकोसिस्टम का विकास और ग्लोबल इंडस्ट्री जॉब ट्रेंड्स के साथ तालमेल -

i. नवकरणीय ऊर्जा, फार्मा, सेमीकंडक्टर और अन्य उभरते क्षेत्रों में आईटीआई / पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे ताकि 'स्किलिंग इकोसिस्टम' विकसित किया जा सके और वैश्विक उद्योग रोज़गार के रुझान के साथ संरेखित किया जा सके।

ii. शासन, उद्योगों/संगठनों/विभागों के लिए एक 'कौशल कोष' बनाने का प्रयास करेगा जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वयं के कौशल एवं क्षमता संवर्धन को प्रोत्साहित करना होगा।

6.5.2 जिला और क्षेत्रीय स्तर पर क्षमतानुसार रोजगार का सृजन -

i. जिलों के यथास्थान संभावित क्षेत्रों का विश्लेषण किया जाएगा और उन क्षेत्रों को जिला/क्षेत्रवार सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जायेंगे जिससे संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

6.5.3 सरकार की रोजगार पैदा करने वाली योजनाओं का मूल्यांकन और युवाओं में जागरूकता पैदा करना -

i. युवाओं से संबंधित योजनाओं का सोशल ऑडिट नियमित आधार पर किया जाएगा।

ii. युवाओं को जागरूक करने के लिए संबंधित सभी शासकीय योजनाओं को युवा पोर्टल पर सूचीबद्ध किया जाएगा।

6.5.4 रोजगार हेतु युवा परामर्श केंद्रों की स्थापना करना -

i. राज्य में संचालित युवा परामर्श केंद्र और जिला रोजगार कार्यालय 'मॉडल कॅरियर केंद्र' के रूप में कार्य करेंगे। युवा परामर्श केंद्र मॉडल कॅरियर सेंटर में उपलब्ध होगा। इसका विस्तार विकासखण्ड स्तर पर भी किया जा सकेगा।

6.5.5 स्थानीय अर्थव्यवस्था बनाने और बनाए रखने के लिए स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना -

i. दीनदयाल अंत्योदय योजना- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना- राज्य शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा देना और एक स्थायी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना।

ii. स्व-सहायता समूहों को शासन द्वारा बाजार की प्रवृति, उत्पाद ब्रांडिंग तथा ग्राहकों को आकर्षित करने की रणनीतियों के बारे में जागरूकता प्रदान की जाएगी और उनके उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री हेतु आजीविका मार्ट एवं अन्य प्लेटफार्मों के साथ तथा समय-समय पर व्यापार मेले आयोजित करने की सुविधा प्रदान करने में सहयोग प्रदान किया जाएगा।

7. स्वास्थ्य

युवा वर्तमान एवं भावी कार्यबल का अति आवश्यक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज का युवा उत्साह एवं रचनात्मकता से भरपूर है। वह नवप्रर्वतन नवाचार के लिये मानसिक रूप से तैयार तथा चुनौतियों का सामना करने और समाधान ढूँढने में सक्षम एवं सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय योगदान देने हेतु तत्पर है। अतः यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि युवाओं को स्वस्थ, सक्रिय और खुशहाल जीवनशैली अपनाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाये। स्वास्थ्य निर्माण चिकित्सकीय व्यवस्था के अलावा उन स्थानों पर भी होता है जहां लोग रहते, सीखते तथा काम करते हैं। अतः गैर-चिकित्सकीय व्यवस्था के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य निर्माण तथा स्वस्थ आचरण को बढ़ावा देना आवश्यक है, ताकि युवा बेहतर निर्णय लेने, सामाजिक संबंधों तथा जिम्मेदारियों के निर्वहन और गुणवत्तायुक्त जीवन यापन हेतु सक्षम बनें। बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य युवाओं को लगातार आगे बढ़ने, उनके सपनों को पूरा करने तथा कामयाब होने में सक्षम बनाता है।

बदलती जीवनशैली, कुपोषण, शैक्षणिक और रोजगार क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, शारीरिक निष्क्रियता, स्वच्छता में कमी, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य (SRH - Sexual and Reproductive Health) संबंधी चिंताएं, बदलती आहार आदतें, मादक पदार्थों की लत, कोविड महामारी के दुष्परिणाम तथा सोशल मीडिया पर बढ़ते स्क्रीन समय आदि ने भावनात्मक और मानसिक असंतुलन तथा तनाव बढ़ाया है। इसके कारण स्वयं को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति और गैर-संचारी रोगों के गंभीर खतरे लगातार बढ़ रहे हैं और युवाओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ रहा है। युवाओं के स्वास्थ्य एवं आरोग्य में लगातार निवेश करने से वर्तमान में स्वस्थ युवा, भविष्य में स्वस्थ वयस्क और स्वस्थ भावी पीढ़ी का निर्माण किया जा सकता है। आमतौर पर किशोरावस्था के दौरान स्वास्थ्य में निवेश करने से स्वस्थ युवा एवं वयस्क तैयार होने की संभावना बढ़ती है। किशोरावस्था में स्वास्थ्य पर निवेश करने से सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में लगभग दस गुना रिटर्न मिलना अनुमानित है। अतः एक स्वस्थ युवा बनाने के लिए किशोरों के स्वास्थ्य और कल्याण विषयों को एकीकृत करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

यह नीति युवाओं में स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देते हुए चिकित्सकीय तथा गैर-चिकित्सकीय व्यवस्था में स्वास्थ्य और आरोग्य सेवाएं उपलब्ध कराने की मंशा रखती है। इस खंड में, किशोरों और युवाओं के लिए निवारक स्वास्थ्य देखभाल, आहार विविधता, स्वच्छता, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विषयों एवं फोकस क्षेत्रों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	विषय	फोकस क्षेत्र
1	निवारक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का सशक्तिकरण	1. युवाओं के स्वास्थ्य मुद्दों (किशोरावस्था और मानसिक स्वास्थ्य सहित) को शिक्षा व्यवस्था में समेकित करना 2. प्रमुख स्वास्थ्य मुद्दों पर जनता में जागरूकता फैलाना 3. जागरूकता फैलाने हेतु स्व-सहायता समूहों की भागीदारी

क्र.	विषय	फोकस क्षेत्र
2	पौष्टिक व संतुलित आहार की आदतों तथा स्वच्छता व्यवहार को बढ़ावा	1. संतुलित भोजन और आहार विविधीकरण को बढ़ावा देना 2. स्कूलों/कॉलेजों में बॉडी मास इंडेक्स (BMI), एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया और गंभीर बीमारियों के लिए युवाओं की सामूहिक प्राथमिक जांच करना 3. स्वच्छता व्यवहार को बढ़ावा देना
3	शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा	1. व्यापक स्वास्थ्य एवं आरोग्य समाधानों के कवरेज और आउटरीच को बढ़ाना 2. मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए निवारक, उपचारात्मक और परामर्श सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना 3. कुशल मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना 4. मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम, नियंत्रण, उपचार और पुनर्वास को सुनिश्चित करना
4	पर्याप्त, समावेशी, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता	1. गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना 2. यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल की आम-जन तक पहुंच और क्षमताओं में सुधार करना 3. जागरूकता फैलाने, टेली-मेडिसिन तथा परामर्श सेवाओं में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना

उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विषय एवं फोकस क्षेत्रों के अंतर्गत प्रस्तावित कार्य बिंदु निम्नानुसार हैं :-

7.1 निवारक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का सशक्तिकरण

7.1.1 युवाओं के स्वास्थ्य मुद्दों (किशोरावस्था और मानसिक स्वास्थ्य सहित) को शिक्षा व्यवस्था में समेकित करना -

i. युवाओं को एक स्वस्थ मानवीय पूंजी के रूप में विकसित करने तथा राज्य पर बीमारियों के बोझ को कम करने के लिए शिक्षा प्रणाली में स्वास्थ्य एवं आरोग्य विषयों का व्यवस्थित एकीकरण महत्वपूर्ण है। स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए युवाओं को जागरूकता और उपयुक्त ज्ञान की आवश्यकता है। साथ ही गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ी सामाजिक कुरीतियों तथा भ्रांतियों को तोड़ने की जरूरत है जो निवारक स्वास्थ्य देखभाल को अपनाने में अवरोध उत्पन्न करती हैं।

ii. किशोरों और युवाओं के स्वास्थ्य मुद्दों को 'उमंग स्कूल स्वास्थ्य और आरोग्य कार्यक्रम' जैसी पहलों के माध्यम से स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में एकीकृत किया जाएगा, ताकि महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विषयों जैसे पोषण, किशोर स्वास्थ्य, माहवारी स्वच्छता, यौन एवं प्रजनन

स्वास्थ्य, गैर-संचारी रोग, मादक पदार्थों की लत तथा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य आदि के सम्बन्ध में आयु के अनुकूल स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित हो सके।

iii. स्वास्थ्य और आरोग्य विषयों के मॉड्यूलों पर प्रत्येक स्कूल के शिक्षकों को 'वेलनेस एंबेसडर' के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, जो स्कूलों में इन विषयों पर साप्ताहिक सत्र आयोजित करेंगे।

iv. माहवारी से जुड़ी सामाजिक कुरीतियों/भ्रांतियों का छात्राओं के स्कूल छोड़ने में बड़ा योगदान होता है। शिक्षक और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता माहवारी स्वास्थ्य प्रबंधन पर जानकारी के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। अतः 10-19 वर्ष की आयु की छात्राओं के लिए शिक्षण संस्थानों में माहवारी स्वच्छता प्रबंधन को बढ़ावा देने की पहल को मजबूत और विस्तारित किया जाएगा।

7.1.2 प्रमुख स्वास्थ्य मुद्दों पर जनता में जागरूकता फैलाना -

i. युवाओं में जागरूकता फैलाने हेतु बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान, युवा संवाद, सेमिनार और सामुदायिक कार्यक्रम आदि आयोजित किये जायेंगे जिनमें प्रमुख स्वास्थ्य विषयों जैसे- कुपोषण, माहवारी स्वच्छता (MHS), यौन और प्रजनन स्वास्थ्य (SRH), यौन संचारित रोग, टीबी, एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सरवाइकल और स्तन कैंसर, मानसिक स्वास्थ्य और संबंधित मुद्दे, मादक द्रव्यों के सेवन से जुड़े जोखिम, तनाव प्रबंधन, आत्महत्या के विचार, गैर-संचारी रोग, सोशल मीडिया की लत तथा सड़क सुरक्षा उपाय आदि को सम्मिलित किया जाएगा।

ii. युवाओं को भारतीय चिकित्सा पद्धति के अनुसार स्वास्थ्य देखभाल के तरीकों जैसे पारंपरिक दवाओं, योग, पंचकर्म और मेडिटेशन आदि को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

iii. मेडिटेशन मन को शांत करने की एक विधि है। यह एक तनाव निवारक है जो आरोग्य जीवन और मानसिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में योगदान देता है। विभिन्न भारतीय हस्तियों ने मेडिटेशन की तकनीक को पूरी दुनिया में फैलाया है। युवाओं को भी तनाव मुक्त जीवन के लिये मेडिटेशन को अपनाने के लिये प्रेरित किया जाएगा।

iv. युवाओं को आभासी दुनिया (Virtual World) की लत से बचाव हेतु ध्यान, योग आदि के अभ्यास को बढ़ावा दिया जाएगा।

v. स्कूलों और कॉलेजों में हेल्थ क्लब बनाये जाएंगे जो छात्रों में पोषण और स्वास्थ्य मुद्दों तथा गैर-संचारी रोगों के बारे में जागरूकता पैदा करेंगे।

7.1.3 जागरूकता हेतु स्व-सहायता समूहों की भागीदारी -

i. प्रमुख स्वास्थ्य मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने, आहार विविधता बढ़ाने, पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने तथा गैर-संचारी रोगों की बुनियादी जांच के उपरांत रोगों की प्रारंभिक पहचान और सही समय पर रेफरल करने में स्व-सहायता समूह प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग किया जाएगा।

7.2 पौष्टिक व संतुलित आहार की आदतों तथा स्वच्छता व्यवहार को बढ़ावा

7.2.1 संतुलित भोजन और आहार विविधीकरण को बढ़ावा देना -

i. सही पोषण के लिए संतुलित आहार आवश्यक है जिससे यथा संभव सभी पोषण समूह भोजन में शामिल हो सकें। अतः युवाओं को जंक फूड के स्थान पर विविध पौष्टिक भोजन का सेवन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और स्कूल / कॉलेजों की कैंटीनों में पौष्टिक भोजन के विकल्पों को उपलब्ध कराने हेतु प्रेरित एवं निर्देशित किया जाएगा।

ii. फोर्टिफाइड फूड एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से फोर्टिफाइड गेहूं और चावल की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे।

iii. आयु विशेष के लिए पोषणयुक्त भोजन की गाइड्लाइन को आसान भाषा में प्रसारित कर लोकप्रिय किया जाएगा।

iv. अंकुरित अनाजों तथा दालों के सेवन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर 'अंकुरित अनाज अभियान' चलाया जाएगा।

v. आहार विविधीकरण तथा समग्र स्वास्थ्य के लिए औषधीय पौधों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्तर पर न्यूट्री-गार्डन और हर्बल-गार्डन को बढ़ावा दिया जाएगा।

7.2.2 स्कूलों/कॉलेजों में बॉडी मास इंडेक्स (BMI), एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया और गंभीर बीमारियों के लिए युवाओं की सामूहिक प्राथमिक जांच करना -

i. एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, बीएमआई और अन्य गंभीर बीमारियों की जांच के लिए समय-समय पर लक्षित स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे।

ii. एनीमिया की रोकथाम एवं उपचार के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति में उपलब्ध पारंपरिक उपायों को बढ़ावा दिया जाएगा।

iii. दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में उच्च जोखिम गर्भावस्था (HRP - High Risk Pregnancy) मामलों की सही समय पर पहचान करते हुए रेफरल सेवाओं हेतु दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किये जायेंगे ताकि गर्भवती माता एवं शिशु को सही स्वास्थ्य देखभाल मिल सके।

iv. उत्तम संतति एवं सुरक्षित प्रसव हेतु गर्भ संस्कार को बढ़ावा दिया जाएगा।

7.2.3 स्वच्छता व्यवहार को बढ़ावा देना -

i. शिक्षण संस्थानों, सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों में स्वच्छ पेयजल और सुरक्षित शौचालय सुविधाओं तक विशेषकर छात्राओं एवं महिलाओं की पहुंच सुनिश्चित करना।

ii. शैक्षणिक संस्थानों में उच्च गुणवत्तापूर्ण सैनिटरी पैड की आसान और निःशुल्क पहुंच सुनिश्चित करना। साथ ही, माहवारी प्रबंधन के लिए विश्वसनीय, सुरक्षित एवं संवहनीय विकल्प जैसे-

माहवारी कप एवं उच्च गुणवत्तापूर्ण सैनिटरी नैपकिन आदि की उपलब्धता एवं पहुँच बढ़ाना।

iii. शिक्षण संस्थानों में व्यक्तिगत स्वच्छता, माहवारी स्वच्छता तथा हाथ धोने के व्यवहार को बढ़ावा देना।

7.3 शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा

7.3.1 व्यापक स्वास्थ्य एवं आरोग्य समाधानों के कवरेज और आउटरीच को बढ़ाना -

i. प्रदेश में योग को जीवन का अहम हिस्सा बनाने हेतु स्कूलों, कॉलेजों और स्वास्थ्य संस्थानों में छात्रों के लिए न्यूनतम 15 मिनट की योग कक्षाएं अनिवार्य की जाएंगी तथा आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी योग को बढ़ावा दिया जाएगा।

ii. योग प्रशिक्षकों को 'योगा सेंटर' की स्थापना के लिए सहयोग दिया जाएगा।

iii. मोबाइल स्क्रीन टाइम/सोशल मीडिया के उपयोग को सीमित करने के लिए युवाओं को जागरूक, शिक्षित और प्रोत्साहित किया जाएगा।

iv. फारेस्ट-बाथ, सन-बाथ, पैदल चलना और साइकिल चलाना आदि उत्तम स्वास्थ्य एवं आरोग्य के लिए अच्छे माने जाते हैं परन्तु शहरीकरण के कारण शारीरिक गतिविधियों के लिए सार्वजनिक हरित स्थानों तक पहुंच सीमित हो गयी है, जिससे लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अतः शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए पार्कों, खेल के मैदानों, शहरी हरित स्थानों, वॉक-वे, साइकिल चलाने के स्थानों तथा आवासीय हरियाली आदि की उपलब्धता और पहुंच बढ़ाई जाएगी।

v. देवारण्य योजना के माध्यम से मध्यप्रदेश में औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा मिल रहा है। युवाओं को औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती और प्राथमिक प्रसंस्करण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु हर्बल गार्डन विकसित करने और औषधीय पौधों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। घरेलू स्तर पर हर्बल गार्डन को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

vi. दिव्यांगता की शुरुआती पहचान के लिए स्कूलों, आंगनवाड़ी और स्व-सहायता समूहों के बीच अभियान चलाया जाएगा ताकि संबंधित का सही समय पर उपचार किया जा सके।

7.3.2 मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए निवारक, उपचारात्मक और परामर्श सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना -

i. एक सुखी, शांत और उत्पादक (Productive) जीवन जीने के लिए मानसिक स्वास्थ्य आवश्यक है। मानसिक बीमारियों की शीघ्र पहचान तथा प्रारंभिक हस्तक्षेपों के परिणाम मानसिक स्वास्थ्य के लिये अच्छे हो सकते हैं। लक्षणों की सही पहचान नहीं हो पाने तथा भ्रांतियों एवं उपचार सुविधाओं की जानकारी नहीं होने से अधिकांश मानसिक बीमार व्यक्तियों को समय पर उपचार नहीं मिल पाता है। अतः मानसिक बीमारियों को स्वीकार करने और

इसकी शीघ्र पहचान को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक भागीदारी से बड़े स्तर पर जागरूकता पैदा करने के प्रयास किए जाएंगे।

ii. मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को बढ़ाने हेतु 'मन कक्ष' को युवाओं और जेंडर के अनुकूल बनाया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को दूर करने के लिए बेहतर जांच, उपचार और परामर्श सेवाओं के लिए मान्यता प्राप्त मानसिक स्वास्थ्य प्रदाताओं जैसे मनोचिकित्सकों, प्रशिक्षित डॉक्टरों, क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट और प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा, न्यूनतम मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए हेल्थ एन्ड वैलनेस केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

iii. आयुष हेल्थ एन्ड वैलनेस सेंटरों एवं योगा वैलनेस केन्द्रों के माध्यम से योग प्रशिक्षण देते हुए युवाओं को ध्यान एवं योग के महत्व बताकर दैनिक जीवन शैली में अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

7.3.3 कुशल मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना -

i. मन-कक्ष तथा हेल्थ एन्ड वैलनेस सेंटरों पर मान्यता प्राप्त मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सेवाओं की उपलब्धता की जाएगी।

ii. कुशल मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की कमी को पूरा करने के लिए सामान्य स्वास्थ्य चिकित्सकों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

iii. जनजातीय और दूरस्थ इलाकों में डॉक्टरों, विशेषज्ञों एवं अन्य स्वास्थ्य विशेषज्ञों की तैनाती बढ़ाई जायेगी।

iv. कुशल स्वास्थ्य विशेषज्ञों की मांग को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों पर व्यावसायिक, चिकित्सकीय पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया जायेगा।

7.3.4 मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम, नियंत्रण, उपचार और पुनर्वास को सुनिश्चित करना -

i. नशे की लत से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने तथा नशीले पदार्थों जैसे ड्रग्स, तंबाकू, सिगरेट, भांग, शराब आदि के सेवन को हतोत्साहित करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक स्तरों पर युवा संवाद, प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

ii. नशीले पदार्थों की अवैध आपूर्ति को रोकने के लिए नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा।

iii. नशे की लत से होने वाले विकारों के किफायती उपचार तक पहुँच आसान करने के लिए 'नशामुक्ति केंद्रों' की स्थापना की जाएगी।

iv. ड्रग्स जैसे प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की आपूर्ति करने वालों को पकड़वाने में युवाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु सुरक्षित तंत्र विकसित और प्रचारित किया जायेगा।

7.4 पर्याप्त, समावेशी, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता

7.4.1 गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का कवरेज प्रदान करना -

i. गुणवत्तायुक्त बुनियादी स्वास्थ्य अधोसंरचनाओं, सुविधाओं और सेवाओं का कवरेज सुनिश्चित करना। ट्रांसजेंडर सहित कमजोर समुदायों के प्रति स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को अधिक समावेशी, उत्तरदायी और संवेदनशील बनाना।

ii. हेल्थ एन्ड वैलनेस केंद्रों के कवरेज और पहुंच को विस्तारित किया जायेगा। हेल्थ एन्ड वैलनेस केंद्रों द्वारा समुदाय में नियमित सक्रिय आउटरीच हस्तक्षेपों के माध्यम से शारीरिक और भावनात्मक कमजोरियों को कम करने के लिए लगातार प्रयास किये जायेंगे।

iii. पर्याप्त संख्या में विशेषज्ञताओं में प्रशिक्षित डॉक्टरों, नर्सों और तकनीशियनों को तैयार करने के लिए गुणवत्तापूर्ण मेडिकल कॉलेजों और नर्सिंग/पैरामेडिकल संस्थानों एवं उनमें सीटों का विस्तार किया जाएगा।

iv. प्रदेश के विश्वविद्यालयीन परिसरों में 'स्वास्थ्य क्लीनिक' स्थापित किए जाएंगे।

v. सुरक्षित और गोपनीयता के अभाव में कतिपय स्वास्थ्य और परामर्श सेवाओं का उपयोग करने में युवा हिचकिचाते हैं। इसलिए युवा और लिंग-अनुकूल परामर्श कक्ष विकसित किये जाएंगे ताकि युवाओं को गोपनीय, समावेशी और मानसिक संतुष्टि वाला माहौल सुनिश्चित कर प्रभावी परामर्श सेवाएं प्रदान की जा सकें। परिवार की जानकारी और सहमति के बिना भी परामर्श सेवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।

vi. हेल्थ एन्ड वैलनेस केंद्रों, परामर्श केंद्रों (मानसिक एवं किशोर स्वास्थ्य), ई-संजीवनी तथा टेली-मेडिसिन केंद्रों में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

7.4.2 यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच और क्षमताओं में सुधार करना -

i. माहवारी स्वच्छता, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य (SRH) के बारे में भ्रांतियों को दूर करने के लिए युवाओं और समाज/समुदाय को संवेदनशील बनाना आवश्यक है। जागरूकता फैलाने के साथ-साथ, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल विषय को 7वीं कक्षा से पाठ्यक्रम में शामिल किया जायेगा, साथ ही किशोर स्वास्थ्य और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में सुधार करते हुए इसे प्राथमिकता दी जाएगी।

ii. नियमित आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से गर्भावस्था की उम्र में देरी, परिवार नियोजन, स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने हेतु व्यवहार परिवर्तन के प्रयास किये जायेंगे तथा यौन और प्रजनन स्वास्थ्य मुद्दों के लिए उपचार की उपलब्धता का विस्तार किया जायेगा।

iii. जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्थापित उमंग स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से किशोरों के लिए परामर्श सेवाओं के कवरेज और पहुंच को बढ़ावा दिया जाएगा।

iv. गर्भनिरोधक, यौन संचारित रोग, स्त्री रोग संबंधी परीक्षण और गर्भावस्था संबंधी गुणवत्तापूर्ण

स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और हेल्थ एन्ड वैलनेस केंद्रों की क्षमता को सुदृढ़ बनाया जाएगा।

v. स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर लड़कियों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी तथा शौचालयों में इंसीनरेटर (सेनिटरी पैड के निस्तारण हेतु) लगाये जायेंगे।

7.4.3 जागरूकता फैलाने, टेली-मेडिसिन, ई-क्लीनिक तथा परामर्श सेवाओं में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना -

i. स्मार्टफोन और हाई-स्पीड इंटरनेट की पहुंच ने युवाओं को आवश्यक जानकारियों और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सक्षम बनाया है। अतः महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों पर जागरूकता फैलाने और स्वास्थ्य एवं आरोग्य के विभिन्न पहलुओं को वांछित, विश्वसनीय तथा प्रासंगिक जानकारी तक पहुंच बढ़ाने के लिए डिजिटल और सोशल मीडिया के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

ii. स्मार्टफोन एप्लिकेशन के माध्यम से विश्वसनीय जानकारी और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए 'चैट-बॉट' विकसित किया जाएगा।

iii. ई-संजीवनी जैसी टेली-मेडिसिन सेवाओं को लोकप्रिय बनाया जाएगा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और हेल्थ एन्ड वैलनेस सेंटर पर टेली-मेडिसिन सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं जैसे स्त्री रोग, बाल रोग तथा सामान्य चिकित्सा आदि के लिए भी टेली-परामर्श सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।

iv. यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, नशे की लत एवं मानसिक स्वास्थ्य आदि जैसे प्रमुख स्वास्थ्य मुद्दों पर परामर्श सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए ऑनलाइन स्वास्थ्य परामर्श सेवा प्लेटफार्मों को सुदृढ़ कर प्रचारित किया जाएगा।

v. निदान और उपचार में सहायता के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर अनुसंधान को बढ़ावा देना।

8. युवा नेतृत्व एवं सामाजिक कार्य

युवा नेतृत्व एवं सामाजिक कार्य का मुख्य लक्ष्य मध्यप्रदेश के विकास की चुनौतियों का समाधान करने के लिये युवा नेतृत्व विकसित करना है। सरकार ने युवाओं के लिए कई स्वयंसेवी और नेतृत्व विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन पहलों को सुगम, विस्तारित एवं सशक्त किए जाने की आवश्यकता है। इससे युवाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी एवं उनमें नेतृत्व विकास संभव होगा।

इस युवा नीति का उद्देश्य एक ऐसा वातावरण विकसित करना है, जो युवाओं के नेतृत्व विकास में सहायक हो एवं समुदाय, प्रदेश तथा राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका सुनिश्चित करता हो। इस कार्यक्षेत्र के विषयों एवं फोकस क्षेत्रों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	विषय	फोकस क्षेत्र
1	युवा नेतृत्व विकास	1. फेलोशिप/इंटर्नशिप कार्यक्रमों के माध्यम से युवा नेतृत्व विकास के अवसरों को बढ़ावा देना 2. अनुभव साझा करना एवं सफल मॉडल्स का एक्स्पोज़र दिलाना 3. वंचित युवाओं में नेतृत्व विकास करना
2	सामाजिक कार्य हेतु युवा स्वयंसेविता ईको-सिस्टम का निर्माण	1. स्वयंसेवा के अवसरों को सुव्यवस्थित करते हुए युवाओं को इसके लिए प्रोत्साहित करना 2. युवाओं के समग्र विकास हेतु आवश्यक कौशल एवं संसाधनों से सुसज्जित सामाजिक पूंजी निर्माण
3	युवाओं को सीखने के अवसर प्रदान करना तथा परामर्श प्रणाली का सशक्तिकरण	1. सीखने के अवसरों का विस्तार करना 2. युवाओं के सर्वांगीण विकास हेतु काउंसिलिंग एवं मार्गदर्शन प्रदान करना

उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विषय एवं फोकस क्षेत्रों के अंतर्गत प्रस्तावित कार्य बिंदु निम्नानुसार हैं :-

8.1 युवा नेतृत्व विकास

8.1.1 फेलोशिप/इंटर्नशिप कार्यक्रमों के माध्यम से युवा नेतृत्व विकास के अवसरों को बढ़ावा देना –

i. युवाओं को शासन एवं प्रबंधन प्रणाली से अवगत कराने के लिए 'मुख्यमंत्री यंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट कार्यक्रम' (CMYPDP), 'मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप कार्यक्रम' (CMYIP) जैसी पहलों को और मज़बूत तथा सुव्यवस्थित किया जाएगा ।

ii. युवाओं को विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पंचायत राज संस्थानों/ स्थानीय निकायों तथा शासकीय विभागों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश विकसित किए जाएंगे।

iii. 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 'स्कूल अप्रेंटिसशिप' को बढ़ावा दिया जाएगा।

iv. शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से युवा नेतृत्व विकास संबंधित विषयों जैसे समस्या-समाधान, टीम निर्माण, सार्वजनिक मंच पर बोलना, विवाद प्रबंधन आदि पर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स को बढ़ावा दिया जाएगा।

8.1.2 अनुभव साझा करना एवं सफल मॉडल्स का एक्स्पोज़र दिलाना -

i. युवाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने तथा युवाओं को अपने अनुभव साझा करने एवं व्यक्तित्व विकास के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर 'युवा संवाद' आयोजित किए जायेंगे जिसमें ब्रांड एंबेसडर, यूथ आइकॉन, इन्फ्लुएंसर तथा रोल मॉडल्स को अपने अनुभव युवाओं के साथ साझा करने हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

ii. युवाओं में नेतृत्व के गुणों को विकसित करने के लिए युवा परिषदों, युवा महापंचायत, युवा संसद और युवा समूहों को बढ़ावा दिया जाएगा एवं उन्हें मजबूत किया जाएगा।

iii. सरकार के कामकाज एवं क्रियान्वयन की चुनौतियों से युवाओं को परिचित कराने के लिए युवाओं को विभिन्न योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण में भी शामिल किया जाएगा।

iv. 30 वर्ष से कम आयु के जनप्रतिनिधियों को क्रॉस लर्निंग के अवसरों का लाभ उठाने के लिए देश भर में मॉडल पंचायतों/शहरी स्थानीय निकायों में एक्सपोजर भ्रमण करवाया जाएगा, ताकि वे अपने-अपने क्षेत्रों में उपयुक्त सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू कर सकें।

8.1.3 वंचित युवाओं में नेतृत्व विकास करना -

i. समाज के वंचित वर्गों के युवाओं, दिव्यांगों तथा उभयलिंगी व्यक्तियों की नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करने के लिए युवा परिषदों/ युवा महापंचायत/ युवा संसद/ युवा समूहों में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

ii. वंचित युवाओं के लिए 'लक्षित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों' को बढ़ावा दिया जाएगा।

8.2 सामाजिक कार्य हेतु युवा स्वयंसेविता ईको-सिस्टम का निर्माण

8.2.1 स्वयंसेवा के अवसरों को सुव्यवस्थित करते हुए युवाओं को इसके लिए प्रोत्साहित करना -

i. राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) तथा स्काउट गाइड आदि के अंतर्गत नामांकित युवाओं की संख्या में वृद्धि की जाएगी जिससे संगठित युवा स्वयंसेविता के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके। स्वैच्छिक गतिविधियों की पहुंच एवं प्रभाव को बढ़ाने के लिए भी समन्वित प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

ii. युवाओं एवं प्रोफेशनल्स के द्वारा सेवानिवृत्त तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑन-ग्राउंड एवं ऑनलाइन स्वयंसेवा को बढ़ावा देने तथा एक मंच प्रदान करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य स्वयंसेवक कार्यक्रम (MPVP) विकसित किया जाएगा।

iii. राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), नेहरू युवा केंद्र संगठन (NYKS), राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) सहित विभिन्न कार्यक्रमों का एक विशिष्ट डाटाबेस बनाया जाएगा और इसे 'युवापोर्टल' पर प्रदर्शित किया जाएगा।

iv. सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए आंगनवाड़ी/गांव/झुग्गी-बस्ती/स्कूल आदि को गोद लेने को प्रोत्साहित किया जाएगा।

v. विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों हेतु राज्य युवा पुरस्कार दिए जाएंगे।

8.2.2 युवाओं के समग्र विकास हेतु आवश्यक कौशल एवं संसाधनों से सुसज्जित सामाजिक पूंजी निर्माण –

i. स्वच्छता-मित्र, बैंक-सखी, पशु-मित्र, कृषि-मित्र जैसे सामुदायिक स्त्रोतों से युवाओं को सुनियोजित प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों में उनका उपयोग किया जाएगा।

ii. आवासीय विद्यालयों जैसे एकलव्य विद्यालय, सी.एम. राइज़ स्कूल एवं नवोदय विद्यालय आदि में स्टूडेंट एक्सचेंज कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा।

iii. उद्योग, शिक्षा जगत, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक धरोहर स्थलों, संग्रहालयों, इनक्यूबेशन केंद्रों, सार्वजनिक कार्यालयों तथा वन्य एवं पर्यटन आदि में युवाओं के लिए एक्सपोज़र विज़िट की सुविधा प्रदान कर सीखने के अवसरों को बढ़ावा दिया जाएगा।

8.3 युवाओं को सीखने के अवसर प्रदान करना तथा परामर्श प्रणाली का सशक्तिकरण

8.3.1 सीखने के अवसरों का विस्तार करना –

i. नागरिक कार्यों एवं शासन में भागीदारी हेतु युवाओं को सशक्त बनाने की दृष्टि से विभिन्न स्वैच्छिक अवसरों, इंटर्नशिप अवसरों, युवा विकास योजनाओं एवं शासकीय तथा गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले अन्य कौशल निर्माण अवसरों से संबंधित जानकारी को "युवा पोर्टल" पर प्रदर्शित किया जाएगा।

ii. दीनदयाल अंत्योदय योजना - राज्य शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोज़गार (EST&P) घटक अंतर्गत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी क्षमता का निर्माण किया जाएगा एवं पी एम स्वनिधि के अंतर्गत डिजिटल लेन-देन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

iii. स्व-शिक्षण वातावरण को सुदृढ़ करने एवं मुक्त शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज (MOOC) तथा लघु ऑनलाइन प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा।

iv. युवाओं में सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों के प्रति संवेदनशीलता, समस्या समाधान एवं विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के विकास हेतु पाठ्यक्रम में सामुदायिक जुड़ाव एवं सेवा को शामिल किया जाएगा।

8.3.2 युवाओं के सर्वांगीण विकास हेतु काउंसिलिंग एवं मार्गदर्शन प्रदान करना

i. युवाओं की अपेक्षा एवं आकांक्षाओं तथा वर्तमान औद्योगिक आवश्यकताओं में युवाओं के लिए उभरते कॅरियर के अवसरों के अनुरूप मौजूदा कॅरियर परामर्श तंत्र का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।

ii. युवाओं को उनसे संबंधित विषयों पर मार्गदर्शन की पहुंच बढ़ाने हेतु उपयुक्त व्यवस्था स्थापित की जाएगी।

9. खेल एवं फिटनेस

स्वस्थ जीवन शैली के लिये खेल-कूद एक आवश्यक तत्व है, जो युवाओं में शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, टीम भावना, आत्म-अनुशासन तथा नेतृत्व क्षमता विकसित करने में सहायक होता है। खेल गतिविधियां आपसी सामन्जस्य को बढ़ाती हैं एवं अपराध को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती हैं। खेलों से विद्यार्थियों में अनुशासन, प्रतिस्पर्द्धा और परिश्रम की भावना उत्पन्न होती है जो विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता जैसे गुणों को विकसित करते हुए जीवन-लक्ष्य को प्राप्त करने में सार्थक एवं सहायक सिद्ध होती है। निःसंदेह खेल शारीरिक तथा मानसिक दृढ़ता प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका है। बाल्यकाल से ही खेलकूद की अनिवार्यता होनी चाहिए, जिससे तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग हो सके। राष्ट्रीय एकता और गौरव को बढ़ाने में भी खेलों का महत्वपूर्ण योगदान है।

इस प्रकार खेल व्यक्ति के समग्र विकास के साथ-साथ बड़े पैमाने पर राज्य और समाज की प्रगति में योगदान देता है। इस नीति का उद्देश्य खेल के माध्यम से युवाओं में व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत विकास के साथ खेलों में उत्कृष्टता भी प्राप्त करना है। इन मुख्य प्राथमिकताओं को चिन्हित कर युवा नीति के इस कार्य क्षेत्र अंतर्गत निम्नलिखित विषय एवं उनसे संबंधित फोकस क्षेत्र निर्धारित किये गये हैं :-

क्र.	विषय	फोकस क्षेत्र
1	खेल अधोसंरचना एवं फिटनेस ईको सिस्टम का विकास	1. खेल अधोसंरचना के विकास एवं खेलों से संबंधित अकादमिक तथा व्यावसायिक ज्ञान हेतु संस्थागत व्यवस्था 2. युवाओं में शारीरिक फिटनेस, योग एवं बाह्य क्षेत्र में गतिविधियाँ करने की आदत विकसित करने की व्यवस्था
2	खिलाड़ियों का समग्र विकास	1. युवा प्रतिभाओं की खोज एवं उन्हें निखारने हेतु सुनियोजित कार्य योजना 2. उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु शीर्ष स्तरीय प्रशिक्षण एवं निरंतर सहायता की व्यवस्था 3. खेल और इससे संबंधित क्षेत्रों को आजीविका हेतु सक्षम बनाने की व्यवस्था करना
3	पैरा खिलाड़ियों को अवसर एवं सुविधा	1. खेल सुविधाओं तक बेहतर/आसान पहुंच एवं प्रशिक्षण की उपलब्धता
4	खेल प्रशासन में खिलाड़ियों को प्राथमिकता	1. खेल नेतृत्व में युवा खिलाड़ियों को प्राथमिकता देना

उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विषय एवं फोकस क्षेत्रों के अंतर्गत प्रस्तावित कार्य बिंदु निम्नानुसार हैं :-

9.1 खेल अधोसंरचना एवं फिटनेस ईको सिस्टम का विकास

9.1.1 खेल अधोसंरचना के विकास एवं खेलों से संबंधित अकादमिक तथा व्यावसायिक ज्ञान हेतु संस्थागत व्यवस्था -

i. खेलों को बढ़ावा देने हेतु सभी शिक्षण संस्थानों एवं ग्राम पंचायत स्तर पर खेल के मैदानों तथा खेल सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

ii. सीमित खेल अधोसंरचना सुविधाओं वाले जिलों में इनडोर तथा आउटडोर स्टेडियमों का विकास एवं विकासखण्ड स्तर पर गुणवत्तापूर्ण खेल अधोसंरचना का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जायेगा।

iii. खेल अधोसंरचना एवं प्रशिक्षण सुविधाओं के विकास के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को बढ़ावा दिया जाएगा।

iv. जिला स्तर पर खेल अकादमी स्थापित करने के लिए पूर्व खिलाड़ियों को सहायता प्रदान करना।

v. खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए संभाग स्तर पर खेल अकादमियों/फीडर सेंटर की स्थापना की जाएगी।

vi. खेल एवं उससे संबंधित क्षेत्रों के लिये नवीन डिग्री प्रोग्राम एवं कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाएंगे।

9.1.2 युवाओं में शारीरिक फिटनेस, योग एवं बाह्य क्षेत्र में गतिविधियाँ करने की आदत विकसित करने की व्यवस्था -

i. स्कूलों और कॉलेजों में शारीरिक शिक्षा तथा योग शिक्षकों की उपलब्धता।

ii. शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक पंचायत में ओपन जिम की उपलब्धता।

9.2 खिलाड़ियों का समग्र विकास

9.2.1 युवा प्रतिभाओं की खोज एवं उन्हें निखारने हेतु सुनियोजित कार्य योजना -

i. स्थानीय खेल प्रतिभाओं को खोजने के लिए विकासखण्ड एवं जिला स्तर पर सुनियोजित तरीके से प्रतिभा खोज शिविर आयोजित किए जाएंगे। चिन्हित खेल प्रतिभाओं को राज्य खेल अकादमी, भारतीय खेल प्राधिकरण तथा खेलो इंडिया सेंटर जैसी सुविधाओं में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किये जाएंगे।

ii. विभिन्न खेलों में प्रतिभाओं की मैपिंग हेतु एक 'खेल प्रतिभा खोज पोर्टल' विकसित किया जाएगा, जो एक डिजिटल डायरेक्टरी के रूप में भी काम करेगा, जिसमें प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों की जानकारी के साथ अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के खिलाड़ियों के प्रदर्शन रिपोर्ट कार्ड उपलब्ध रहेंगे।

iii. प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों (National Games) की तर्ज पर राज्य खेलों (State Games) का आयोजन किया जाएगा।

iv. प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज कर स्पोर्ट्स साइंस के माध्यम से खिलाड़ी की प्रतिभा के अनुसार खेल का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जायेगा।

v. ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक खेलों जैसे मलखंभ, कबड्डी, खो-खो, गतका तथा थांग-टा आदि को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभाओं की खोज एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

9.2.2 उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु शीर्ष स्तरीय प्रशिक्षण एवं निरंतर सहायता की व्यवस्था -

i. राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा हेतु सक्षम बनाने के लिए विशेषज्ञों, प्रशिक्षकों एवं स्पोर्ट्स साइंस एक्सपर्ट की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

ii. सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।

iii. प्रशिक्षकों के लिये निरंतर व्यावसायिक विकास की योजना बनाकर, तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।

iv. जिला और राज्य स्तर के खिलाड़ियों के लिए चिकित्सा और दुर्घटना बीमा की सुविधा प्रदान की जाएगी, ताकि चोटग्रस्त खिलाड़ियों के आर्थिक बोझ को साझा किया जा सके ।

v. कॉर्पोरेट घरानों को एक खेल गोद लेने तथा हाई परफार्मेंस सेंटर विकसित करने हेतु सीएसआर फंड को चैनलाइज़ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

9.2.3 खेल और इससे संबंधित क्षेत्रों को आजीविका हेतु सक्षम बनाने की व्यवस्था करना -

i. खेलों के विभिन्न क्षेत्रों में कॅरियर बनाने जैसे उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, खेल इवेंट मैनेजमेंट तथा खेल पत्रकारिता आदि के लिए कार्य-योजना बनाकर तदनुसार उसका क्रियान्वयन किया जाएगा।

9.3 पैरा खिलाड़ियों को अवसर एवं सुविधा

9.3.1 खेल सुविधाओं तक बेहतर/आसान पहुंच एवं प्रशिक्षण की उपलब्धता -

i. पैरा खिलाड़ियों की प्रतिभा खोज, प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन।

ii. पैरा खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी।

9.4 खेल प्रशासन में खिलाड़ियों को प्राथमिकता

9.4.1 खेल नेतृत्व में युवा खिलाड़ियों को प्राथमिकता देना -

i. अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता खिलाड़ियों की राज्य के खेल सलाहकार समिति एवं नीति बनाने/लागू करने में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। इसमें महिला खिलाड़ियों की सहभागिता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

ii. अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पहचान बनाने वाले खिलाड़ियों को उनके गृह जिले का स्पोर्ट्स ब्रांड एंबेसडर बनाया जाएगा।

10. कला एवं संस्कृति

युवा नीति में युवाओं के माध्यम से राज्य की संस्कृति की रक्षा करने की परिकल्पना की गई है। इस नीति का उद्देश्य युवा दूतों और राज्य के संस्थानों (विद्यालयों/महाविद्यालयों) द्वारा सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के माध्यम से समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों को बढ़ावा देना और संरक्षित करना है। युवा नीति का उद्देश्य मध्यप्रदेश के युवा नागरिकों में अपने राज्य के प्रति सम्मान एवं स्वाभिमान की भावना विकसित करना भी है। इस कार्य क्षेत्र से संबंधित विषय एवं फोकस क्षेत्र निम्नानुसार हैं :-

क्र.	विषय	फोकस क्षेत्र
1	पारंपरिक ज्ञान प्रबंधन प्रणालियों और संस्कृति का संरक्षण	1. प्रत्येक जिले के क्षेत्रीय भोजन, त्योहारों, पारंपरिक ज्ञान प्रबंधन प्रणालियों, जनजातीय भाषाओं आदि सहित लोक एवं समस्त कला रूपों और स्थानीय संस्कृति के मानचित्रण के माध्यम से दस्तावेजीकरण, संग्रहण और संरक्षण 2. स्वैच्छिक संस्थाओं, पंचायतों एवं अन्य संस्थागत संरचनाओं के माध्यम से जमीनी स्तर की सहभागिता, दूरदर्शन, आकाशवाणी, संगीत नाटक अकादमी आदि बहुश्रुत संस्थाओं तथा संगीत कॉलेजों, गुरुकुलों, प्रशिक्षण संस्थाओं एवं विभिन्न कला/संगीत अकादमियों के माध्यम से संगीत और नृत्य की पारंपरिक भारतीय प्रणाली को बढ़ावा 3. शैक्षणिक संस्थानों में क्षेत्रीय कला और संस्कृति से संबंधित एक समर्पित टाइमस्लॉट का समावेश 4. राज्य के स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए सभी सरकारी सांस्कृतिक कार्यक्रम/आयोजनों में प्रस्तुति के अवसर
2	कला को आजीविका के साधन के रूप में बढ़ावा	1. राज्य के कलाकारों को फैलोशिप कार्यक्रम और छात्रवृत्ति के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन 2. राज्य में राष्ट्रीय स्तर की 'उत्कृष्ट नाट्य अकादमी' की स्थापना करना 3. कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए सोशल मीडिया/ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म आदि का सक्षम उपयोग 4. कला, साहित्य, संगीत आदि विषयों को शिक्षा की मुख्यधारा में क्रेडिट-आधारित प्रणाली के माध्यम से बढ़ावा देना

क्र.	विषय	फोकस क्षेत्र
3	एक जिला-अनेक कला	1. राज्य की अद्वितीय कलाओं, विरासत और संस्कृति की पहचान करके 'वोकल फॉर लोकल' को बढ़ावा देना 2. कलाकारों के लिए संगीत एवं कला महाविद्यालयों तथा संगीत विश्वविद्यालय स्तर पर इनक्यूबेशन केंद्रों के रूप में संस्कृति स्टूडियो की स्थापना 3. राज्य के नागरिकों के बीच 'मेरा प्रदेश-मेरा गौरव' की भावना को जागृत करना तथा उसे आत्मसात करना

उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विषय एवं फोकस क्षेत्रों के अंतर्गत प्रस्तावित कार्य बिंदु निम्नानुसार हैं :-

10.1 पारंपरिक ज्ञान प्रबंधन प्रणालियों और संस्कृति का संरक्षण

10.1.1 प्रत्येक जिले के क्षेत्रीय भोजन, त्योहारों, पारंपरिक ज्ञान प्रबंधन प्रणालियों, जनजातीय भाषाओं आदि सहित लोक एवं समस्त कला रूपों और स्थानीय संस्कृति आदि का मानचित्रण के माध्यम से दस्तावेजीकरण, संग्रहण और संरक्षण -

i. सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर रखने के लिए, ऐतिहासिक दस्तावेजों और पांडुलिपियों का संरक्षण और अनुसंधान कार्य संस्कृति विभाग द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक जिले में पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों और संस्कृति का एक डिजिटल भंडार बनाने के प्रयास किए जाएंगे। संबंधित क्षेत्र के युवाओं, दिव्यांगजनों व उभयलिंगी व्यक्तियों का समावेशन करते हुए वीडियो, ऑडियो और लिखित डाटा को विकसित करने, मिलान करने और संरक्षित करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा।

ii. राज्य के युवाओं को विभिन्न कलाएं सीखने के अवसर राज्य में ही प्रदान करने के उद्देश्य से कला एवं संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी तथा राज्य की संस्कृति, कला व भाषाओं को संरक्षित करने हेतु अनुसंधान और विकास के लिए उपयुक्त निधि निर्धारित की जाएगी।

iii. मध्यप्रदेश के युवाओं को गौरवशाली संस्कृति और इतिहास से परिचित कराने के लिए युवाओं को इन विषयों की पढ़ाई करने के लिये प्रेरित किया जाएगा। कला और संस्कृति के प्रति युवाओं को संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों में बढ़ावा दिया जाएगा। पारंपरिक महाकाव्यों, दंतकथाओं और कहानियों को उनकी वैज्ञानिकता के आधार पर जीवंत रखने के प्रयास किए जाएंगे एवं अतीत की वीरता, ज्ञान और भव्यता को चित्रित किया जाएगा।

iv. भारतीय भाषाओं का अध्ययन और संरक्षण करने हेतु सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों में निर्देशों का माध्यम मुख्य रूप से हिंदी भाषा रहेगी।

v. स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न आयामों का अध्ययन और चर्चा करने के लिए दुर्लभ और प्रामाणिक ग्रंथों का प्रलेखन, प्रकाशन व प्रसार, संग्रह और प्रदर्शनी के साथ कार्यक्रमों के आयोजन के द्वारा, प्रोत्साहन व प्रचार किया जाएगा।

vi. प्रमुख पर्यटन स्थलों एवं निकट के ग्रामीण पर्यटन हेतु चयनित ग्रामों में स्थानीय व्यंजन, परम्परागत खेल, गाँव के लोहार गिरी, बढ़ई गिरी करने वाले, लकड़ी के खिलौने एवं मूर्तियाँ बनाने वाले, मिट्टी के खिलौने एवं अन्य सामग्री बनाने वाले कारीगरों / शिल्पकारों, गोंड पेंटिंग, भील पेंटिंग या अन्य स्थानीय परंपरागत पेंटिंग करने वाले कलाकारों द्वारा किये जा रहे कार्यों का पर्यटकों को अवलोकन कराने एवं पर्यटकों को उसे अनुभव कराने के लिए उस ग्राम के आस पास के युवाओं को चयनित कर तथा आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण दिया जाकर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

vii. आदिवासी युवाओं को अपनी संस्कृति की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षकों के रूप में अवसर दिया जाएगा।

10.1.2 स्वैच्छिक संस्थाओं, पंचायतों एवं अन्य संस्थागत संरचनाओं के माध्यम से जमीनी स्तर की सहभागिता, दूरदर्शन, आकाशवाणी, संगीत नाटक अकादमी आदि बहुश्रुत संस्थाओं तथा संगीत महाविद्यालयों, गुरुकुलों, प्रशिक्षण संस्थाओं एवं विभिन्न कला/संगीत अकादमियों के माध्यम से संगीत और नृत्य की पारंपरिक भारतीय प्रणाली को बढ़ावा -

i. क्षेत्रीय संगीत, कला और शिल्प की पहुंच को प्रदेश की प्रत्येक स्वैच्छिक संस्थाओं व पंचायतों अर्थात जमीनी स्तर की सहभागिता, दूरदर्शन, आकाशवाणी, संगीत नाटक अकादमी आदि बहुश्रुत संस्थाओं के तथा संगीत महाविद्यालयों, गुरूकुलों, प्रशिक्षण संस्थाओं एवं विभिन्न कला/संगीत अकादमियों के माध्यम से बढ़ाया जाएगा, जो राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर राज्य कला रूपों के प्रदर्शन को और बढ़ाएगा।

ii. प्रमुख पर्यटन स्थलों के निकट ग्रामीण पर्यटन हेतु चयनित ग्रामों में लोक कला एवं लोक गायन के क्षेत्रों में पारंगत स्थानीय युवकों का चिन्हांकन व सशक्तिकरण कर स्थानीय समूह निर्मित किए जाएंगे जो पर्यटकों के समक्ष प्रदर्शन हेतु तैयार होंगे।

10.1.3 शैक्षणिक संस्थानों में क्षेत्रीय कला और संस्कृति से संबंधित एक समर्पित टाइमस्लॉट का समावेश -

i. स्वदेशी कला और संस्कृति के क्षेत्र में युवाओं को समृद्ध करने के लिए, उसका प्रासंगिक ज्ञान प्रदान करने की दिशा में विशेष जोर देने के साथ शैक्षणिक संस्थानों में एक समर्पित टाइमस्लॉट चिन्हित किया जाएगा।

10.1.4 राज्य के स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए सभी सरकारी सांस्कृतिक कार्यक्रम/आयोजनों में प्रस्तुति के अवसर -

i. राज्य में सभी सरकारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में राज्य के स्थानीय कलाकारों को उनकी दृश्यता सुनिश्चित करने और उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान किया जाएगा।

ii. पर्यटन स्थलों एवं ग्रामीण पर्यटन के चयनित ग्रामों में स्थानीय धरोहरों की पहचान कर स्थानीय युवकों को प्रशिक्षित करके पर्यटकों के भ्रमण हेतु गाइड तैयार किये जाएंगे।

iii. वोकल फॉर लोकल के सिद्धांतों पर आधारित मध्यप्रदेश के पर्यटन सर्किट एवं पर्यटन स्थलों के आस पास युवा उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु क्राफ्ट ट्रेल विकसित किये जायेंगे।

iv. प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लोक नृत्य एवं लोक गायन में पारंगत/रुचि रखने वाले युवाओं / समूहों की पहचान की जाएगी एवं आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण दिलाया जाएगा, जिससे स्थानीय कलाओं को बढ़ावा दिया जा सके।

v. काष्ठ शिल्प, लौह शिल्प जैसे पारंपरिक कार्यों एवं पारंपरिक कलाओं के उत्पादों को आस-पास के ग्रामों के युवाओं की भागीदारी के साथ प्रमुख पर्यटन स्थलों पर प्रदर्शित किया जाएगा।

10.2 कला को आजीविका के साधन के रूप में बढ़ावा

10.2.1 राज्य के कलाकारों को फैलोशिप कार्यक्रम और छात्रवृत्ति के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन -

i. कलाकारों को उनकी संबंधित विशेषज्ञता में बढ़ावा देने और समग्र परिदृश्य पर उनकी दृश्यता बढ़ाने के लिए फैलोशिप कार्यक्रमों और छात्रवृत्ति की मदद से उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन हेतु अवसर दिये जाएंगे।

10.2.2 राज्य में राष्ट्रीय स्तर की 'उत्कृष्ट नाट्य अकादमी' की स्थापना करना -

i. युवाओं में सांस्कृतिक चेतना विकसित करने तथा थिएटर अध्ययन, अभिनय प्रशिक्षण, प्रदर्शन व ज्ञान प्रसार के लिए स्कूल ऑफ ड्रामा को उत्कृष्ट अकादमी के रूप में विकसित किया जाएगा।

ii. संगीत और ललित कलाओं को बढ़ावा देने, मजबूत करने और विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की 'उत्कृष्टता अकादमी' के विश्वविद्यालय के रूप में राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय को परिवर्धित किया जाएगा।

10.2.3 कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए सोशल मीडिया/ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म आदि का सक्षम उपयोग -

i. समाज में विभिन्न कलाओं और संस्कृति के ज्ञान के जमीनी स्तर पर प्रसार को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का विधिवत उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।

10.2.4 कला, साहित्य, संगीत आदि विषयों को शिक्षा की मुख्यधारा में क्रेडिट-आधारित प्रणाली के माध्यम से बढ़ावा देना -

i. कला, साहित्य और संगीत को युवा विकास चर्चा में शामिल करने के लिए स्कूलों और संस्थानों में वैकल्पिक विषय के रूप में एक क्रेडिट-आधारित प्रणाली प्रारंभ की जाएगी। एनईपी के अनुसार, यह विभिन्न कला रूपों के संरक्षण, संवर्द्धन और विरासत प्रतिधारण को बढ़ावा देगा।

10.3 एक जिला-अनेक कला

10.3.1 राज्य की अद्वितीय कलाओं, विरासत और संस्कृति की पहचान करके 'वोकल फॉर लोकल' को बढ़ावा देना-

i. माटीकला हेतु कुम्हारों के सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री माटीकला योजना तैयार की जायेगी जिसमें युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

ii. Brand Building Exercise जैसे Fashion Show, Design Competition, Hand-loom On Wheel जैसे नवाचारों के माध्यम से वोकल फॉर लोकल में चयनित कलाओं का प्रचार-प्रसार कर युवा शिल्पी, युवा बुनकरों को रोजगार, मार्केटिंग आदि हेतु प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा।

10.3.2 कलाकारों के लिए संगीत एवं कला महाविद्यालयों तथा संगीत विश्वविद्यालय स्तर पर इनक्यूबेशन केंद्रों के रूप में संस्कृति स्टूडियो की स्थापना।

10.3.3 राज्य के नागरिकों के बीच 'मेरा प्रदेश-मेरा गौरव' की भावना को जागृत करना तथा उसे आत्मसात करना -

i. युवाओं को संस्कृति के विकास और संरक्षण हेतु प्रेरित करने के लिए कार्यशालाओं / कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

11. पर्यावरण सुरक्षा

युवा नीति पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में युवाओं की जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं को परिभाषित करने का प्रयास करती है, जिससे सभी के लिए सतत् और रहने योग्य वातावरण सुनिश्चित हो सके। यह नीति युवाओं में स्थानीय प्रयासों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी भी डालती है, जिससे 2030 तक सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद मिले। पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित विषय एवं फोकस क्षेत्र निम्नानुसार हैं :-

क्र.	विषय	फोकस क्षेत्र
1	पर्यावरण के प्रति युवाओं में संवेदनशीलता का विकास	1. पर्यावरण के संरक्षण के प्रति युवाओं में संवेदनशीलता 2. जागरूकता अभियान, नेचर कैम्प, सफारी के माध्यम से कॉलेज के छात्र-छात्राओं में पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा 3. युवाओं में सतत् विकास लक्ष्यों एवं जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत मुख्य रूप से कार्बन फुटप्रिंट,नेट ज़ीरो एवं कार्बन क्रेडिट सिस्टम के प्रति जागरूकता 4. पर्यावरण से संबंधित विषयों पर अनुसंधान एवं इंटर्नशिप को बढ़ावा
2	पर्यावरण संरक्षण के लिए युवा नेतृत्व को बढ़ावा	1. पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से स्थानीय एवं आदिवासी समुदाय में से पर्यावरण मित्रवत कार्यशैली वाले यूथ आइकंस की पहचान एवं उनका सम्मान
3	हरित रोज़गार को बढ़ावा	1. युवाओं के मध्य प्राकृतिक/जैविक कृषि को बढ़ावा 2. नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन (ई-वाहन, सौर ऊर्जा, बायो फ्यूल इत्यादि) में युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का निर्माण 3. अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा
4	सतत् उत्पादन एवं उपभोग	1. सामुदायिक भागीदारी एवं सामूहिक प्रयासों के माध्यम से जैविक/प्राकृतिक कृषि विकास, ऊर्जा एवं पर्यावरण संरक्षण व्यवहार को बढ़ावा

उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विषय एवं फोकस क्षेत्रों के अंतर्गत प्रस्तावित कार्य बिंदु निम्नानुसार हैं :-

11.1 पर्यावरण के प्रति युवाओं में संवेदनशीलता का विकास

11.1.1 पर्यावरण के संरक्षण के प्रति युवाओं में संवेदनशीलता -

i. शासकीय विभागों, गैर-शासकीय संस्थानों, अन्य संस्थानों के साथ प्रत्येक वर्ष जिला स्तर पर महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं के लिए जलवायु परिवर्तन, सतत् विकास लक्ष्य, वायु प्रदूषण, भोजन के अपव्यय, मिशन LiFE, वेटलैंड संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण आदि पर केन्द्रित जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

ii. प्रभावी ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए,जन-सामान्य में व्यवहार परिवर्तन एवं जन-जागरूकता अभियान को विभिन्न माध्यमों (प्रिन्ट मीडिया एवं डिजिटल मीडिया इत्यादि) से किया जाएगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत अपशिष्ट को कम करने के लिए कम उपयोग (REDUCE), पुन: चक्रण (RECYCLE) एवं पुन: उपयोग (REUSE) को जन-सामान्य में बढ़ावा दिया जाएगा।

iii. नवकरणीय ऊर्जा संबंधी विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

iv. पर्यावरण संरक्षण के संबंध में जागरूकता हेतु पर्यावरण अध्ययन को उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाएगा तथा प्रशिक्षण सामग्री को हिंदी में तैयार किया जाएगा।

v. महाविद्यालय के विद्यार्थियों को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल की प्रयोगशालाओं एवं निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (CAAQMS) जैसी सुविधाओं में शैक्षणिक भ्रमण कराए जाएंगे।

vi. पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रत्येक माह नियत दिवस पर पर्यावरणीय गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा।

11.1.2 जागरूकता अभियान, नेचर कैम्प, सफारी के माध्यम से कॉलेज के छात्र-छात्राओं में पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा -

i. वन विभाग के अनुभूति कार्यक्रम के साथ सभी संबंधित विभागों को सम्मिलित करते हुए मोगली उत्सव जैसे जागरूकता अभियान, नेचर केम्प का आयोजन प्रदेश के अन्य भागों में भी किया जाएगा।

ii. पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न विषयों पर केन्द्रित लघु अवधि वाले कार्यक्रम जैसे नेचर वॉक, पक्षी दर्शन एवं गणना, वेटलैंड वॉक इत्यादि को विभिन्न विभागों एवं गैर-शासकीय संगठनों के साथ मिलकर आयोजित किया जाएगा।

11.1.3 युवाओं में सतत् विकास लक्ष्यों एवं जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत मुख्य रूप से कार्बन फुटप्रिंट, नेट ज़ीरो एवं कार्बन क्रेडिट सिस्टम के प्रति जागरूकता -

i. सतत् विकास लक्ष्यों एवं जलवायु परिवर्तन पर कार्यरत अनुभवी शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं (IIFM, MANIT, SPA, RGPV, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों) के साथ सतत् विकास लक्ष्यों एवं जलवायु परिवर्तन विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

ii. जिला एवं विकासखंड स्तर पर अंकुर अभियान जैसी पर्यावरण मित्रवत गतिविधियों में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।

iii. सौर ऊर्जा के उपयोग एवं लाभ से जन-सामान्य एवं युवाओं को परिचित कराया जाएगा एवं सौर ऊर्जा के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

iv. शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वृक्षारोपण, सौर ऊर्जा इत्यादि से हरित वार्ड विकसित किये जाएंगे।

11.1.4 पर्यावरण से संबंधित विषयों पर अनुसंधान एवं इंटर्नशिप को बढ़ावा -

i. प्रदेश में मुख्यमंत्री जलवायु परिवर्तन पीएच.डी. छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है जो देश में एक नई पहल है। इस प्रकार की छात्रवृत्तियां वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन एवं वेटलेंड संरक्षण के लिए भी प्रदान की जाएंगी।

ii. इको फिलॉसफी, जलवायु परिवर्तन, सतत् विकास लक्ष्य, पर्यावरण प्रदूषण, वेटलैंड्स एवं अपशिष्ट प्रबंधन विषयों पर शोध/अध्ययन के लिये स्टाइपेन्ड के साथ समर एवं विंटर इंटर्नशिप / फेलोशिप प्रदान की जाएंगी।

11.1.2 पर्यावरण संरक्षण के लिए युवा नेतृत्व को बढ़ावा

11.2.1 पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से स्थानीय एवं आदिवासी समुदाय में से पर्यावरण मित्रवत कार्यशैली वाले यूथ आइकंस की पहचान एवं उनका सम्मान -

i. पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत ग्रीन यूथ आइकंस को प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कार (प्रति जिला एक अवॉर्ड) का प्रावधान किया जाएगा।

ii. ग्रीन यूथ आइकंस को सम्मानित करने की योजना का शुभारम्भ कार्यक्रम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित किया जाएगा।

iii. शहरों में युवा स्वच्छता दूत बनाए जाएंगे।

iv. स्कूलों में स्वच्छता मॉनिटर और सभी कार्यालयों में स्वच्छता नोडल अधिकारियों का नामांकन अनिवार्य किया जाएगा।

v. शासन की नेशनल ग्रीन कोर (NGC) योजना के अनुसार प्रत्येक महाविद्यालयों में नवीन ईको क्लब की स्थापना करना तथा पूर्व में गठित ईको क्लबों को सक्रिय किया जाएगा। पर्यावरण जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण संवेदनशीलता संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

11.3 हरित रोज़गार को बढ़ावा

11.3.1 युवाओं के मध्य प्राकृतिक/जैविक कृषि को बढ़ावा -

i. पर्यावरण के प्रति युवाओं को संवेदनशील बनाने के लिए उन्हें कौशल विकास और उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से प्राकृतिक/जैविक कृषि को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

ii. ग्रामीण युवाओं के लिए जैविक कृषि, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, संरक्षित कृषि एवं क्लाइमेट रेज़िलिएंट एग्रीकल्चर आदि विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।

11.3.2 नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन (ई-वाहन, सौर ऊर्जा, बायो फ्यूल इत्यादि) में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना -

i. ग्रीन इकोनामी एवं ग्रीन जॉब्स विषय पर केन्द्रित प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना एवं मास्टर ट्रेनर का एक कैडर विकसित किया जाएगा।

ii. विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, जहाँ वास्तुकला एवं डिजाइन की शिक्षा प्रदान की जाती है (यथा SPA, MANIT, RGPV एवं NID) की सहभागिता से स्थानीय भवन डिजाइन और सामग्री की जानकारी देने के लिए युवा वास्तुकारों एवं वास्तुकला के विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप एवं एजुकेशनल विजिट के अवसर प्रदान किये जाएँगे। इन संस्थानों को उन्हीं स्थलों पर स्टूडियो आयोजित करने के लिए सुविधा दी जायेगी एवं प्रोत्साहित किया जाएगा।

11.3.3 अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा -

i. अपशिष्ट प्रबंधन, ई-वेस्ट, घातक अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु क्लस्टर बनाने के संबंध में सहायता प्रदान की जाएगी।

ii. अपशिष्ट प्रबंधन में रोजगार को बढ़ावा देने के तरीकों और तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा तथा अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों में शहरी स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी।

iii. शहर में उत्पन्न सभी प्रकार के अपशिष्ट का पूर्ण निपटान कर शून्य अपशिष्ट शहर को बनाया जा सकता है। इस हेतु स्वच्छता अभियान, कचरे के पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग एवं स्रोत पृथक्करण से संबंधित जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रयासों के माध्यम से विधिवत योजनाएं बनाई जाएंगी।

iv. अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र के सफाई मित्रों को उनकी वाणिज्यिक स्थिरता के लिए अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों में प्रशिक्षित करना और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सरकार की लाभोन्मुखी योजनाओं से जोड़ा जाएगा।

11.4 सतत् उत्पादन एवं उपभोग

11.4.1 सामुदायिक भागीदारी एवं सामूहिक प्रयासों के माध्यम से जैविक/प्राकृतिक कृषि विकास, ऊर्जा एवं पर्यावरण संरक्षण व्यवहार को बढ़ावा-

i. शासकीय कार्यक्रमों में कार्बन न्यूट्रल, ऊर्जा संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए शपथ दिलाई जाएगी।

ii. संबंधित विभागों एवं गैर-शासकीय संस्थानों के साथ मिशन LiFE (Lifestyle for Environment) के अंतर्गत यूथ एचीवर्स/ यूथ आइकन के लिए एवं पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्यक्रमों (जागरूकता अभियान, सेमीनार, संगोष्ठी) का आयोजन किया जाएगा।

12. समावेश एवं समता

लोकतांत्रिक समाज के निर्माण हेतु आवश्यक है कि युवा मतभेदों से परे जाति लिंग, क्षमता, वर्ग या पहचान के अन्य पहलुओं के प्रति संवेदनशील हों। अतः युवा नीति का लक्ष्य एक ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण करना है जो समावेशी एवं न्यायपूर्ण हो, जो लैंगिक समानता के प्रति जागृत हों एवं वंचित वर्गों, दिव्यांगों को साथ लेकर चलने के प्रति समर्पित हो।इस कार्य क्षेत्र से संबंधित विषय एवं फोकस क्षेत्र निम्नानुसार हैं :-

क्र.	विषय	फोकस क्षेत्र
1	बालिकाओं और महिलाओं का सम्मान	1. बालकों में बाल्यकाल से ही बालिकाओं और महिलाओं के प्रति सम्मान पैदा करने के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम - Early Childhood Sensitization Programme (ECSP) शुरू करना 2. स्कूलों में 'गुड एंड बैड टच' के बारे में जागरूकता
2	परिवार ही आधार	1. पारिवारिक और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को उनके दायित्वों के प्रति संवेदनशीलता 2. समावेशी और न्यायपूर्ण समाज हेतु सामाजिक ताने-बाने का निर्माण
3	बालिकाओं, महिलाओं एवं युवाओं का सशक्तिकरण	1. घर, सार्वजनिक क्षेत्र और कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए सभी प्रकार के उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण निर्माण 2. कार्यबल और नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं एवं वंचित वर्गों की भागीदारी
4	दिव्यांग और उभयलिंगी व्यक्ति सहित समाज के कमजोर वर्गों के युवाओं हेतु समावेशी शिक्षा	1. विद्यालयों और महाविद्यालयों में समावेशी पाठ्यक्रम के माध्यम से दिव्यांग और उभयलिंगी व्यक्तियों सहित समाज के कमजोर वर्गों के युवाओं के लिए शिक्षा
5	समता का भाव	1. अपने से पृथक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश से आने वाले व्यक्तियों के प्रति समता का भाव

उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विषय एवं फोकस क्षेत्रों के अंतर्गत प्रस्तावित कार्य बिंदु निम्नानुसार हैं :-

12.1 बालिकाओं और महिलाओं का सम्मान

12.1.1 बालकों में बाल्यकाल से ही बालिकाओं और महिलाओं के प्रति सम्मान पैदा करने के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम - Early Childhood Sensitisation Programme (ECSP) शुरू करना -

i. बाल्यकाल से ही संवेदीकरण कार्यक्रमों द्वारा युवाओं को लैंगिक भेद-भाव, दिव्यांगता और उभयलिंगी समुदाय के प्रति संवेदनशील बनाने एवं उनके प्रति सम्मान की भावना विकसित करने हेतु एक मॉड्यूल स्कूल शिक्षा में सम्मिलित किया जाएगा।

ii. बाल विवाह, महिला हिंसा, छेड़छाड़ एवं दुर्व्यवहार को रोकने हेतु संबंधित कानूनों के प्रावधानों को प्रचारित कर व्यापक कदम उठाए जाएंगे।

12.1.2 स्कूलों में 'गुड एंड बैड टच' के बारे में जागरूकता -

i. सामान्य विद्यालयों के साथ-साथ विशेष विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों, उभयलिंगी बच्चों को प्रारंभ से 'गुड एंड बैड टच' के बारे में जागरूक एवं प्रशिक्षित किया जाएगा। महिला वर्ग को भी 'गुड एंड बैड टच' के बारे में जागरूक किया जाएगा।

ii. बाल यौन अपराधों को रोकने हेतु POSCO अधिनियम 2012 के प्रावधानों को विभिन्न स्तर पर प्रचारित किया जाएगा।

12.2 परिवार ही आधार

12.2.1 पारिवारिक और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को उनके दायित्वों के प्रति संवेदनशीलता -

i. परिवारों में बालिकाओं, दिव्यांग, उभयलिंगी और महिलाओं के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिये युवाओं को संवेदनशील बनाया जाएगा।

ii. युवाओं को परिवार में बुजुर्गों को संसाधन और ज्ञान के स्त्रोत के रूप में देखना सिखाया जाएगा।

iii. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के परिवारों को सभी प्रकार के लैंगिक भेदभाव को हतोत्साहित करने हेतु संवेदनशील बनाया जाएगा।

12.2.2 समावेशी और न्यायपूर्ण समाज हेतु सामाजिक ताने-बाने का निर्माण -

i. परिवार के सदस्यों में यदि कोई दिव्यांग और उभयलिंगी सदस्य है तो उनकी स्वीकृति को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। महाविद्यालयों में युवाओं को वृद्धाश्रम एवं दिव्यांग देखभाल गृहों में स्वयंसेवक बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

ii. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2021, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 एवं नियम 2009, मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1973 के बारे में युवाओं में जागरूकता लायी जाएगी ।

iii. समाज के कमजोर वर्गों - वृद्धजन, विधवा (कल्याणी), परित्यक्त महिला, दिव्यांग एवं उभयलिंगी व्यक्तियों के प्रति युवाओं में संवेदनशीलता पैदा की जायेगी।

12.3 बालिकाओं, महिलाओं एवं युवाओं का सशक्तिकरण

12.3.1 घर, सार्वजनिक क्षेत्र और कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए सभी प्रकार के उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण निर्माण -

i. महिलाओं के साथ होने वाली घरेलु हिंसा, कार्य क्षेत्र में उत्पीड़न, धोखाधड़ी जैसी अन्य समस्याओं को रोकने एवं इसके उचित समाधान हेतु महिला हेल्प लाइन 181 का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा।

ii. कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने हेतु संबंधित कानूनों के प्रावधान के परिपालन की सतत् निगरानी की जायेगी।

iii. कार्यस्थलों में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने हेतु POSH (Prevention of Sexual Harassment) अंतर्गत गठित स्थानीय शिकायत समिति (Local Complaint Committee), आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaint Committee) पर जागरूकता लाना तथा उक्त समितियों को परिणाम मूलक बनाने पर बल दिया जाएगा।

iv. स्व-सहायता समूहों को 'मेरी बेटी मेरा अभिमान' जैसे अभियान चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

v. सार्वजनिक भवनों में दिव्यांगों की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूर्व से बने हुए भवनों के बुनियादी ढांचे को सार्वभौमिक पहुंच मानकों तथा दिव्यांगों की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित किया जाएगा। साथ ही सभी सार्वजनिक कार्यालयों में दिव्यांग और उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए सुलभ शौचालयों का निर्माण किया जाएगा।

12.3.2 कार्यबल और नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं एवं वंचित वर्गों की भागीदारी -

i. महिलाओन्मुखी रोजगार के अवसरों को परिवारों द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जैसे कि घर आधारित स्टार्टअप, सूक्ष्म एवं लघु स्तर के व्यवसाय, ट्यूशन आदि जिनमें कम पूंजी निवेश और क्षमता निर्माण शामिल है। महिलाओं के द्वारा संचालित उद्यमों के व्यावसायिक संबंधों को विस्तार देने के लिये उनके बने उत्पादों की बाजार पहुंच को सुनिश्चित करने वाली नीतियों के माध्यम से समर्थन दिया जाएगा।

ii. दीनदयाल अंत्योदय योजना- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन' एवं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को लाभ दिया जाएगा साथ ही उभयलिंगी व्यक्तियों के स्व-सहायता समूह गठित कर उनकी आजीविका का संवर्धन किया जाएगा।

iii. देश और दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाले दिव्यांग, उभयलिंगी व्यक्ति और महिलाओं सहित समाज के कमजोर वर्गों के युवाओं को राज्य सरकार द्वारा औपचारिक मान्यता और पुरस्कार के साथ राज्य के 'युवा आइकन' के रूप में सम्मानित किया जाएगा ।

iv. दिव्यांग एवं उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा तथा उनको समाज में उनकी योग्यता अनुसार उचित स्थान दिलाने तथा रोजगार के समान अवसर उपलब्ध करने के उद्देश्य से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 एवं मध्यप्रदेश उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2021 का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

12.4 दिव्यांग और उभयलिंगी व्यक्ति सहित समाज के कमजोर वर्गों के युवाओं हेतु समावेशी शिक्षा

12.4.1 विद्यालयों और महाविद्यालयों में समावेशी पाठ्यक्रम के माध्यम से दिव्यांग और उभयलिंगी व्यक्तियों सहित समाज के कमजोर वर्गों के युवाओं के लिए शिक्षा -

i. दिव्यांग युवाओं के लिए आसान पठन -पाठन हेतु ब्रेल भाषा में ग्रंथों की आसान पहुंच एवं टेक्स्ट-टू-स्पीच सॉफ्टवेयर को बढ़ावा दिया जाएगा।

ii. दिव्यांग एवं उभयलिंगी व्यक्तियों की समावेशी शिक्षा को सशक्त बनाने हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 17 एवं उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2021 की धारा 13 का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

12.5 समता का भाव

12.5.1 अपने से पृथक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश से आने वाले व्यक्तियों के प्रति समता का भाव -

i. आज हम एक वैश्विक ग्राम (Global Village) के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं, जिससे युवा अलग-अलग देशों, नस्लों, धर्मों, भाषाओं तथा सभ्यताओं के लोगों से सम्पर्क में रहेंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारे राज्य के युवा समझें कि हमसे पृथक दिखने, बोलने और जीवन बिताने वाले व्यक्ति भी हमारे जैसे ही हैं और उनके साथ ही हमें इस विश्व को, हमारे देश और हमारे राज्य को, आगे ले जाना है।

13. क्रियान्वयन रूपरेखा

मध्यप्रदेश युवा नीति के क्रियान्वयन से संबंधित संस्थागत व्यवस्था निम्नानुसार प्रस्तावित हैं :-

13.1 संस्थागत तंत्र

i. मध्यप्रदेश युवा नीति के बेहतर क्रियान्वयन एवं समन्वय हेतु माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 'राज्य युवा सलाहकार परिषद्' गठित किया जायेगा, जिसका प्रशासकीय विभाग 'खेल एवं युवा कल्याण विभाग', मध्यप्रदेश शासन होगा। इसके अतिरिक्त 'राज्य युवा आयोग' का पुनर्गठन किया जाएगा। आयोग में कला, शिक्षा, खेल, जनजातीय युवा एवं महिला प्रतिनिधि, दिव्यांग प्रतिनिधि, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि, प्रोफेशनल, NSS, NCC, NYKS, राज्य के राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता सहित विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय युवा प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जायेगा।

ii. जिला स्तर पर 'युवा सलाहकार परिषद्' का भी गठन किया जायेगा, जिसका मुख्य कार्य विभिन्न विभागों के समन्वय से कार्ययोजना तैयार कर राज्य युवा नीति के क्रियान्वयन में सहयोग करना होगा। युवा सलाहकार परिषद् द्वारा समय-समय पर युवाओं से संबंधित मामलों पर अनुसंधान के माध्यम से युवा कल्याण एवं उनके विकास हेतु नीतिगत अनुशंसाएं राज्य युवा आयोग को प्रेषित की जाएंगी।

iii. राज्य युवा आयोग के अंतर्गत जिला स्तर पर 'युवा संसाधान केंद्रों' की स्थापना की जाएगी जो जिला स्तर पर युवाओं से संबंधित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं गतिविधियों जैसे काउंसलिंग एवं मार्गदर्शन, इनक्यूबेशन केंद्र, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में प्रशिक्षण, युवा मामलों से संबंधित योजनाओं का समय-समय पर सामाजिक अंकेक्षण, प्रोफेशनल डेवलपमेंट इत्यादि का क्रियान्वयन करेगा।

iv. राष्ट्रीय तथा राज्य युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को राज्य एवं जिला स्तर की विभिन्न सलाहकार समितियों में सम्मिलित किया जाएगा।

v. युवाओं के विकास एवं कल्याणकारी गतिविधियों की निगरानी हेतु 'मध्यप्रदेश युवा कल्याण सूचकांक' विकसित किया जाएगा।

वित्तीय प्रबंधन

युवा नीति के क्रियान्वयन हेतु 'युवा बजट' बनाया जायेगा। विभिन्न विभागों की युवाओं से संबंधित योजनाओं में किये गए बजट प्रावधानों को समेकित कर 'युवा बजट स्टेटमेंट' तैयार किया जायेगा। पृथक युवा बजट के प्रावधान से राज्य के कुल वित्तीय आवंटन में से युवा मामलों हेतु वित्तीय आवंटन स्पष्ट किया जा सकेगा, जो कि युवाओं हेतु योजनाओं के बेहतर नियोजन, क्रियान्वयन इत्यादि में सहायक होगा।